झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 26 फाल्गुन 1944 (श0) को 17 मार्च, 2023 (ई0) झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
451–	रा0– 54	श्री अमित कुमार मंडल	पर्चा निर्गत करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	09.03.2023
452–	रा0– 19	श्री लोबिन हेम्ब्रम	विस्थापित कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	24.02.2023
453–	रा0– 39	श्री आलोक कु0 चौरसिया	कार्रवाई करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	23.02.2023
454–	स0– ~~55~~ 45	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	अस्पताल का निर्माण।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	09.03.2023
455–	रा0– 04	श्री विनोद कुमार सिंह	राजस्व ग्राम का दर्जा देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	21.02.2023
456–	रा0– 29	श्री रामदास सोरेन	भूमि वापस करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
457–	रा0– 55	श्री समीर कुमार मोहन्ती	न्याय दिलाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	09.03.2023
458–	स0– 24	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	स्वास्थ्य केन्द्र चालू कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	27.02.2023
459–	स0– 20	श्री अनन्त कुमार ओझा	सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	23.02.2023

01.		02.	03.	04.	05.	06
460—	स0—	28	श्री नलिन सोरेन	चिकित्सकों की नियुक्ति।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	01.03.2023
461—	रा0—	47	श्री जिगा सुसारन होरो	कार्रवाई करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28.02.2023
462—	रा0—	33	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	कानूनी कार्रवाई करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
463—	रा0—	40	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	सुधार कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
464—	स0—	27	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	जाँच कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	27.02.2023
465—	रा0—	42	श्री दीपक बिरूवा	मामलों का निष्पादन।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28.02.2023
466—	रा0—	53	श्री राज सिन्हा	नियुक्ति करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	05.03.2023
467—	रा0—	35	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	शामिल कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
468—	रा0—	11	श्री किशुन कुमार दास	नौकरी एवं मुआवजा देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.02.2023
469—	रा0—	32	श्रीमती सविता महतो	पर्चा देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
470—	श्रनि—	02	श्री भानु प्रताप शाही	पढ़ाई चालू कराना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	21.02.2023
471—	स0—	33	श्रीमती पुष्पा देवी	स्वास्थ्य सुविधा का लाभ।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	01.03.2023
*472—	रा0—	31	श्रीमती सविता महतो	राशि आवंटन करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
473—	स0—	39	सुखराम उराँव	मरम्मती कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	05.03.2023
474—	रा0—	10	डॉ0 इरफान अंसारी	योजनाओं का क्रियान्वयन।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.02.2023
475—	रा0—	48	श्री किशुन कुमार दास	कार्रवाई करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28.02.2023

कृ0 पृ0 उ0

* राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक - 195,

01.	02.	03.	04.	05.	06
476—	ग0— 04	श्री मथुरा प्रसाद महतो	मुआवजा राशि देना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	17.02.2023
477—	रा0— 28	सुश्री अम्बा प्रसाद	मुआवजा भुगतान करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
478—	मद्य— 01	श्री उमा शंकर अकेला	कार्रवाई करना।	उत्पाद एवं मद्य निषेद्य	22.02.2023
479—	रा0— 43	श्री नारायण दास	सुविधाएँ देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28.02.2023
480—	स0— 13	श्री अमित कुमार मंडल	स्वीकृति देना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	24.02.2023
481—	रा0— 38	श्री मंगल कालिन्दी	अतिक्रमण हटाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
482—	रा0— 51	श्री संजीव सरदार	भूमि वापस करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	02.03.2023
483—	विधि—08	श्री रामचन्द्र सिंह	मनोनयन कराना।	विधि	05.03.2023
484—	रा0— 13	श्री कमलेश कुमार सिंह	जाँच कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.02.2023
485—	रा0— 30	श्री रामदास सोरेन	कार्रवाई करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
486—	स0— 31	श्री दीपक बिरूवा	पदस्थापित करना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	01.03.2023
487—	स0— 21	श्री सुदिव्य कुमार	ट्रामा सेन्टर शुरू कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	23.02.2023
488—	रा0— 21	श्री रामचन्द्र सिंह	अनुपालन कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	24.02.2023
489—	रा0— 27	सुश्री अम्बा प्रसाद	मुकदमें वापस लेना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
490—	स0— 42	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	कार्रवाई करना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	09.03.2023
491—	रा0— 46	श्री ढुलू महतो	कार्रवाई करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28.02.2023

कृ0पृ0उ0—

01.	02.	03.	04.	05.	06
492—	रा0— 41	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	अधिकार देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28.02.2023
493—	श्रनि— 06	डॉ0 लम्बोदर महतो	सत्र चालू कराना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	27.02.2023
494—	स0— 36	श्री विकास कुमार मुण्डा	कार्य पूर्ण कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	02.03.2023
495—	श्रनि— 03	श्री उमा शंकर अकेला	स्थानीय को नौकरी देना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	22.02.2023
496—	श्रनि— 08	श्री कोचे मुण्डा	पदस्थापन कराना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	02.03.2023
497—	स0— 03	श्री मानु प्रताप शाही	निर्माण पूर्ण कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	21.02.2023
498—	रा0— 22	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	स्टाम्प उपलब्ध कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
499—	रा0— 25	डॉ0 लम्बोदर महतो	कार्रवाई करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
500—	स0— 22	श्री निरल पुरती	ओल्ड पेंशन योजना लागू करना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	27.02.2023
501—	श्रनि— 05	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	नियोजन की जानकारी देना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	24.02.2023
502—	स0— 41	श्री सुदेश कुमार महतो	स्थायी करना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	09.03.2023
503—	स0— 17	डॉ0 सरफराज अहमद	हेल्थ वेलनेस सेन्टर खोलना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	27.02.2023
504—	स0— 29	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स्थायी नियुक्ति करना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	01.03.2023
505—	स0— 25	श्री नवीन जयसवाल	आयु सीमा बढ़ाना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	27.02.2023
506—	स0— 30	श्री नलिन सोरेन	स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	01.03.2023
507—	स0— 38	सुखराम उराँव	चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	05.03.2023

कृ0पृ0उ0—

01.	02.	03.	04.	05.	06
508–	ग0– 26	श्री मथुरा प्रसाद महतो	मुआवजा एवं नौकरी देना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	25.02.2023
509–	श्रनि– 07	श्री मंगल कालिन्दी	पोर्टल बनाना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	27.02.2023
510–	रा0– 37	श्री अनन्त कुमार ओझा	सुविधायें उपलब्ध कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2023
511–	विधि– 05	श्री सुदिव्य कुमार	अधिवक्ता की नियुक्ति।	विधि	27.02.2023
512–	स0– 43	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	मशीन उपलब्ध कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	09.03.2023
513–	स0– 26	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	कर्मियों की नियुक्ति कराना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	27.02.2023
514–	स0– 11	श्री लोबिन हेम्ब्रम	राज्य कर्मी का दर्जा देना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	24.02.2023
515–	स0– 18	डॉ0 सरफराज अहमद	स्थानान्तरण करना।	स्वा0,चि0 शि0एवं परिवार कल्याण	27.02.2023

राँची,
दिनांक– 17 मार्च, 2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0 प्रश्न–06/20–1111/वि0स0, रांची, दिनांक– 13/03/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 18.3.2023
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0 प्रश्न–06/20–1111/वि0स0, रांची, दिनांक– 13/03/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 18.3.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0 प्रश्न–06/20–1111/वि0स0, रांची, दिनांक– 13/03/23.

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/ऑनलाईन एवं वेबसाईट शाखा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन 18.3.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष/

13/03/23

45 /

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–54 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड, पंचायत–विशहा, ग्राम–विशहा अन्तर्गत श्री प्रसादी मोहली, पिता–स्व0 जागेश्वर लैया, श्री विकास मोहली, पिता–स्व0 परमेश्वर मोहली, श्री प्रकाश मोहली, पिता–स्व0 विलास मोहली समेत कुल–32 अनुसूचित जाति भूमिहीन गरीब परिवार को बसोवास हेतु भूमि के लिए अंचल कार्यालय–पथरगामा में तीन वर्ष पूर्व से आवेदन दिया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंचल अधिकारी, पथरगामा के प्रतिवेदनानुसार 24 जनवरी 2023 को श्री प्रसादी मोहली एवं अन्य के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा जाँचोपरांत कुल–5 अनुसूचित जाति के सदस्यों को चिन्हित् किया गया है, जो भूमिहीन है एवं चिन्हित् 5 सदस्यों का गृहस्थल बंदोबस्ती हेतु कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि पथरगामा अंचल कार्यालय द्वारा खण्ड एक में वर्णित गरीब–भूमिहीन परिवार को बासगीत पर्चा निर्गत करने के लिए जिला उप समाहर्त्ता गोड्डा को पत्र प्रेषित किया है;	स्वीकारात्मक। पथरगामा अंचल कार्यालय से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को कुल 5 भूमिहीन अनुसूचित जाति के सदस्यों के गृहस्थल बंदोबस्ती हेतु अभिलेख भेजा गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–एक में वर्णित सभी भूमिहीन परिवारों को बसोवास हेतु पर्चा निर्गत करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5 / स0भू0 वि0स0 गोड्डा (तारां0)–45 / 2023..1072.....(5) / रा0 राँची, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1089 / वि0स0, दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2023
सरकार के अवर सचिव।

452

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–19 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि, गोड्डा जिलान्तर्गत बोआरीजोर प्रखण्ड के निमाकला गांव के ग्रामीणों के जमीन को राजमहल परियोजना द्वारा 25 वर्ष पूर्व अधिग्रहण कर लिया गया है;	स्वीकारात्मक। गोड्डा जिलान्तर्गत बोआरीजोर प्रखण्ड स्थित नीमाकला मौजा के भूमि का अधिग्रहण कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1981 एवं 1987 में किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि आज तक निमाकला गांव के ग्रामीणों को विस्थापित नहीं किया गया;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि परियोजना से सटे निमाकला गांव के ग्रामीणों को ध्वनि और धूलकण एवं पेयजल से लोग काफी प्रभावित है, जिसके चलते लोग कई तरह के बीमारियों से ग्रसित हो रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राजमहल खुली खदान परियोजना में वायु प्रदुषण Permissible Limit के अंदर है एवं ध्वनि, धूल–कण आदि संबंधित प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए उपाय किया गया है। नीमाकला ग्राम में शुद्ध पेयजल हेतु 5000 लीटर क्षमता के टैंकर (Six Trip per day) द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है एवं नीमाकला ग्राम में जल आपूर्ति हेतु दो बोर होल भी किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निमाकला गांव के ग्रामीणों को विस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राजमहल परियोजना (23.80 MTY) के परिचालन हेतु अनुमोदित खनन योजना (Approved Mining Plan) में नीमाकला ग्राम को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण नीमाकला ग्राम का पुनर्वासन नहीं किया जा सका।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–30/2023...211...../नि.रा., राँची, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–366, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(453)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 रा0–39 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित कर्मचारियों के बैठने तथा जनता के कठिनाईयों का निष्पादन के लिए प्रखण्ड कार्यालय का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चैनपुर प्रखण्ड के कर्मचारी श्री कर्ण कुमार के जिम्मे पूर्वडीहा, नरसिंहपुर पथरा, बरॉव महुंगावा, बुढ़ीवीर, सलतुआ, बन्दुआ करसो आदि कई पंचायतों का प्रभार दिया गया है जो नियम विरूद्ध प्राईवेट मकान (शाहपुर) में अपना कार्यालय चलाते है जो भ्रष्टाचार को इंगित करता है;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू का पत्रांक–520 दिनांक–10.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चैनपुर अंचल अन्तर्गत कुल 12 हल्के हैं, जिसके अन्तर्गत मात्र 06 राजस्व उप निरीक्षक कार्यरत हैं, जिसमें श्री करण कुमार, राजस्व उप निरीक्षक को हल्का सं0–III एवं VIII का प्रभार आवंटित है, जिसमें पंचायत पूर्वडीहा, नरसिंहपुर, पथरा, बुढ़ीवीर नहीं आता है। हल्का सं0–III के अन्तर्गत हल्का कार्यालय भवन निर्मित है, जिसमें बुनियादी सुविधा नहीं होने के कारण अंचल कार्यालय के एक कमरे में राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जा रहा था। वर्तमान में सरकारी हल्का कार्यालय में ही राजस्व संबंधी कार्य का सम्पादन किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि कर्मचारी द्वारा रखे गये दो प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा जमीन दलालो को दस्तावेज का कॉपी दिया जा रहा है तथा जाली दस्तवेज तैयार कर खाली पड़े जमीन पर दावा करना तथा उक्त जमीन पर 144 लगाकर रैयतों का परेशान किया जाता है, इस तरह के शिकायत लगातार उपायुक्त, पलामू को भी अवैध कब्जा करने संबंधी शिकायतें मिल रही है परन्तु मूल जड़ पर जाकर कार्रवाई न हो पाने की स्थिति में ऐसे लोगों का मनोबल जमीन कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। प्राईवेट व्यक्तियों को राजस्व संबंधी दस्तावेज नहीं सौंपा जाता है। विभागीय पत्रांक–994 दिनांक–14.03.2023 के आलोक में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का पत्रांक–560 दिनांक–15.03.23 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उल्लेखित मामलों के संदर्भ में अंचल अधिकारी, चैनपुर, अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर, अपर समाहर्त्ता, पलामू एवं उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

कृ.पृ.उ.

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चैनपुर प्रखण्ड के ग्राम शाहपुर के प्राईवेट मकान में कर्मचारी के द्वारा नियम विरूद्ध चलाए जा रहे कार्यालय को बन्द करने तथा चैनपुर प्रखण्ड के किसी भी पंचायत से रैयतों के बन्दोबस्त जमीन पर दावा करने के उपरान्त उसकी जाँच मूल कागजात रजिस्टर से मिलाते हुए शीघ्र निष्पादन करने तथा संलिप्त कर्मचारी/पदाधिकारी के संलिप्ता पाये जाने पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 9/आरोप (वि.स.तारां.–35/2023 1044 (9)/रा. राँची, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–607/वि0स0, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2023

सरकार के अवर सचिव

(454)

श्री दिनेश विलियम मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–45 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के हिरणपुर प्रखण्ड में वर्ष 2011 में 5 करोड़ के लागत से एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल–3,53,59,200/– रू0 की लागत पर पाकुड़ जिलान्तर्गत हिरणपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल अभी भी 2022 बीत जाने के बाद भी आधा–अधूरा बना हुआ हैं ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल का उपयोग शहर के असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा हैं;	अस्वीकारात्मक। अस्पताल का उपयोग शहर के असामाजिक तत्वों के द्वारा किये जाने से संबंधित किसी प्रकार की सूचना नहीं है।
4	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा अस्पताल निर्माण की राशि की निकासी कर अस्पताल को आधा–अधूरा छोड़ दिया गया है ;	योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त पाकुड़, द्वारा चयनित कार्य एजेंसी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पाकुड द्वारा किया जा रहा था। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पाकुड़ के पत्रांक–603 दिनांक–14.06.2022 के अनुसार उक्त योजना के विरूद्ध आवंटित राशि 2,2500000/– (दो करोड़ पचीस लाख) रूपये के समतुल्य राशि का कार्य करा दिया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल का निर्माण पूरा कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिरणपुर के भवन निर्माण योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु विभागीय पत्रांक–192(5) दिनांक–23.02.2023 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत प्राक्कलन की माँग उपायुक्त, पाकुड़ से की गई है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–19/2023– 266(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 1083 वि0स0, राँची, दिनांक–09.03.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2023
अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पो0 वि0स0 (ता0)–20/2023– 266(5) स्वा, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2023.
अवर सचिव

455

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर अंचल में जरमुने पंचायत के मॅझलाडीह, माहुरी और नावाडीह तथा बेको पंचायत के गोपालडीह, गंधोनिया, सुन्दरूटांड को राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं है ;	वर्त्तमान में ग्राम मंझलाडीह, माहुरी एवं नवाडीह मौजा–जरमुने, थाना संख्या–108 के अन्तर्गत है तथा ग्राम–गोपालडीह, गंधोनिया एवं सुन्दरूटांड मौजा–बेको, राजस्व थाना संख्या–88 के अन्तर्गत है।
2	क्या यह बात सही है कि राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं होने से उक्त ग्राम के ग्रामीणों को अपनी पहचान, योजना चयन में परेशानी होती है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में गिरिडीह जिला पुनः सर्वेक्षण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–80 के तहत अधिसूचित है। सर्वेक्षण का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। तदुपरांत समुचित कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 02 / वि0स0 (तारां0)–16 / 2023.1036 / रा0, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–152 / वि0स0, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को एक–एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/23

सरकार के उप सचिव।

(458)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–29 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामदास सारेन, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर अंचल स्थित मौजा कालीमाटी थाना नं0–1163 के खाता नं0–02 के रैयत का नाम कुना हो एवं अन्य के नाम खतियान में दर्ज है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य है,	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार कार्यालय में उपलब्ध खतियान एवं मूल जमाबंदी फटा होने के कारण मूल रैयत के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही थी, फलस्वरूप अंचल निरीक्षक से स्थानीय जांच कराया गया। स्थानीय जांच के क्रम में कुना हो के वंशज के द्वारा दो पृष्ठों में उपलब्ध कराये गये कागजात के अनुसार अभिलेखागार चाईबासा द्वारा दिनांक–27.05.1994 को निर्गत अभिप्रमाणित छायाप्रति में खाता नं0–02 के खतियानी रैयत कुना हो, मंगल हो, पिता रूपा हो अंकित है। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय पत्रांक–395, दिनांक–04.03.2023 द्वारा भी अभिलेखागार को यथाशीघ्र उक्त खतियान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु विशेष दुत के माध्यम से पत्र भेजा गया था, जिसके आलोक में उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला अभिलेखागार, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–30/जि0अभि0, दिनांक–06.03.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मांगा गया खतियान फटा हुआ है, जिसके कारण खतियान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना संभव प्रतीत नही होता है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित खाता के खेसरा संख्या–1372, 1374 एवं 1873 भू–खण्ड की कुछ भूमि गैर अनुसूचित जनजाति के नामान्तरण और हस्तांतरित कर दी गई है,	स्वीकारात्मक। पंजी–II के अनुसार खाता नं0–02 के प्लॉट नं0–1372 एवं 1374 में कुल तीन गैर अनुसूचित जनजाति के नाम पर जमाबंदी दर्ज है। पंजी-II के अभ्युक्ति कॉलम में विभिन्न वादों (जैसे नामान्तरण वाद, बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अधिनियम) के माध्यम से उक्त भूमि का जमाबंदी कायम होने का उल्लेख है। प्लॉट नं0–1873, खाता नं0–02 का विवरणी पंजी–II में नहीं पाया गया।
3	क्या बात सही है कि राज्य में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत् अनुसूचित जनजाति के नाम की भूमि को गैर अनुसूचित जनजाति के नाम हस्तांतरण या नामांतरण करना उक्त अधिनियम का उल्लंघन है,	स्वीकारात्मक। अनुसूचित जनजाति के नाम की भूमि को बिना किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति या न्यायालीय आदेश के बगैर गैर अनुसूचित जनजाति के नाम पर हस्तांतरण या नामान्तरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है।

4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित भूमि को खतियान में दर्ज रैयत को उक्त अधिनियम अन्तर्गत वापस कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से वर्णित तथ्यों पर गहन जांच कराकर विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6 / वि0स0 पूर्वी सिंहभूम (तारा0)–76 / 2023 1073 / रा0, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–622 / वि0स0, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(457)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–55 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि मेसर्स एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका वाइस प्रसिडेंस महेंद्र भण्डारी पिता–स्व0 उगम चाँद भण्डारी तथा सीनियर मैनेजर सोहनलाल तुलसियान, पिता पुरूषोत्तमलाल तुलसिय, दोनों र0ओ0 इंडस्ट्री हाउस 10 केमक स्ट्रीट, 18 वाँ फ्लोर, कोल0 17 प0ब0 के निवासी है, द्वारा फैक्ट्री लगाने के नाम पर पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत, चाकुलिया प्रखंडाधीन लोधाशोली मौजा के निवासियों आज से आठ नौ वर्ष पूर्व सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदा गया था ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार मौजा–लोधशोली, थाना नं0–515 के पंजी–II में लगभग 55 एकड़ भूमि मेसर्स एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर ना0मु0 संख्या–314 से 327 ई0/2009–10 एवं 65 से 81 ई0/2010–11 के तहत् विधिवत् नामान्तरण प्रक्रिया के पश्चात् जमाबंदी कायम किया गया है। नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न निबंधन दलील में सामान्यतः प्रयोजन का उल्लेख नहीं रहने के कारण यह ज्ञात नहीं होता है कि किस उद्देश्य से कंपनी के द्वारा रैयतों से भूमि क्रय की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि आजतक उक्त स्थल पर कोई फैक्ट्री नहीं लगा तथा कंपनी वन विभाग को जमीन हस्तांतरण करने की दिशा में प्रयासरत है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** स्थानीय जांच के क्रम में पाया गया कि वर्तमान के उक्त भू–खण्ड पर किसी प्रकार का फैक्ट्री अवस्थित नहीं है। कंपनी द्वारा खरीदी गई भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण करने से संबंधित सूचना अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित मामले की गंभीरता को देखते हुए जमीन खरीद– विक्री के तमाम डीड एवं दाखिल–खारिज को निरस्त कर गाँव के निवासियों को न्याय दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0 (तारां0)–92/2023.107/रा0, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1087/वि0स0, दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

458

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–24 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक खनन एवं घनी आबादी क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखंड निरसा अन्तर्गत पंडरा मोड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सरकार द्वारा हस्तांतरण कर लिया गया है;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि हस्तगत करने के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी उपकरण, दवाईयाँ आदि अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। निरसा में पूर्व से संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं पारा चिकित्सा कर्मी कार्यरत हैं, एवं उपकरण, दवा आदि उपलब्ध हैं।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीणों के हित में उपरोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाण्ड्रा (निरसा) में पानी की उपलब्धता, पेवर ब्लॉक कार्य, प्रवेश द्वार एवं क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी का निर्माण कार्य हेतु उप विकास आयुक्त, –सह–सचिव, DMFT, धनबाद के ज्ञापांक–103/DMFT दिनांक–28.02.2023 द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के तहत 99,00,160/– रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाण्ड्रा (निरसा) में पानी की उपलब्धता, पेवर ब्लॉक कार्य, प्रवेश द्वार एवं क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी का निर्माण कार्य होते ही पूर्व से संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निरसा को स्थानान्तारित कर नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाण्ड्रा में संचालित कर दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–11/2023–253(5) स्वा, राँची, दिनांकः 14.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 595 वि0स0, राँची, दिनांक–27.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vijay 14.03.2023

अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–11/2023–253(5) स्वा, राँची, दिनांकः 14.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Vijay 14.03.2023

अवर सचिव

(459)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–स–20 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज ग्रामीण, राजमहल एवं उधवा 83.15 कि0मी0 से अधिक गंगा के तट व मध्य दियारा क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ चिकित्सा व्यवस्था हेतु आधारभूत संरचना विकसित होने के बावजूद चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों का घोर अभाव है, जहाँ गंगा पुल निर्माण के निमित्त भी महत्वपूर्ण स्थल के रुप मे स्थापित होगा;	अस्वीकारात्मक। साहेबगंज जिला के दियारा क्षेत्रों में रह रहे लोगो को राजमहल प्रखण्ड के अन्तर्गत स्वा0उपकेन्द्र प्राणनुर, स्वा0 उपकेन्द्र अमानत, स्वा0 उपकेन्द्र प्लासगाछी, स्वा0 उपकेन्द्र श्रीधर, स्वा0 उपकेन्द्र, बुधवरीया एवं प्रा0स्वा0केन्द्र उधवा तथा साहेबगंज प्रखण्ड के अंतर्गत स्वा0 उपकेन्द्र रामपुर, स्वा0 उपकेन्द्र किशनप्रसाद, स्वा0 उपकेन्द्र डिहारी, स्वा0 उपकेन्द्र सकरीगली में पदस्थापित ए0एन0एम0 सी0एच0ओ0 एवं एम0पी0डब्ल्यू के द्वारा अनवरत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। नियमित रुप से स्वास्थ्य विभागीय प्रोग्राम पदाधिकारी, चिकित्सक एवं पारा मेडिकल टीम के द्वारा माईक्रोप्लान तैयार कर कैम्प मोड में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। उधवा प्रखण्ड अंतर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र, उधवा में एक नियमित एवं एक संविदा पर, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, फुदकीपुर एक नियमित एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्र, राधानगर में RBSK अंतर्गत एक चिकित्सक कार्यरत है। राजमहल प्रखण्ड अंतर्गत अनुमण्डल अस्पताल, राजमहल में दो नियमित तथा प्रा0स्वा0 केन्द्र, तीनपहाड़ में दो नियमित चिकित्सक कार्यरत है। सदर प्रखण्ड साहेबगंज (ग्रामीण) अंतर्गत सदर प्रखण्ड ग्रामीण, साहेबगंज एक नियमित एवं तीन अनुबंध पर चिकित्सक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित गंगा नदी तट व मध्य दियारा क्षेत्र में पानी चिकित्सा यान (Water Ambulance) नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र के आमजन को कठिनाईयाँ होती है, जिनमें महिलाओं (खासकर प्रसूति महिलाएँ) एवं बच्चों की संख्या अत्यधिक होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट साहेबगंज के द्वारा जिले के राजमहल एवं साहेबगंज प्रखण्ड अंतर्गत एक–एक Boat Ambulance तथा बोरियो एवं बरहेट के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दो–दो Bike Ambulance के क्रय हेतु प्रकाशित निविदा संख्या 06/2022 के आलोक में दिनांक 14.02.2023 को आयोजित क्रय समिति के द्वारा चयनित एजेंसी को Boat Ambulance तथा Bike Ambulance के आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र में नदी क्षेत्र के माध्यम से निजी नाव द्वारा मालदा (प. बगाल) ले जाया जाता है, जिस कारण स्थानीय आमजन को मानसिक एवं आर्थिक कठिनाईयाँ उठानी पड़ती है;	अस्वीकारात्मक। वर्णित क्षेत्र की जनता को अनुमण्डलीय अस्पताल राजमहल एवं सदर अस्पताल साहेबगंज के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध किया जा रहा है। माह फरवरी से कुल 09 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 6 चिकित्सा पदाधिकारी को DMFT & Aspirational District के माध्यम से रखा गया है, जो निरंतर अपनी सेवा प्रदान कर रहें है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित गांगीय क्षेत्र में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का पदस्थापन सहित पानी चिकित्सा यान (Water Ambulance) अविलम्ब सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

झापांक-15/ (वि0स0)-07-07/2023....86(15) दिनांकः- 14-03-2023

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को उनके झापांक-598 वि0स0 दिनांक-27.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.2023.

सरकार के अपर सचिव।

460

श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स– 28 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगो का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदुरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड रानेश्वर अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र रानेश्वर में चिकित्सकों के 7(सात) पद स्वीकृत है लेकिन वर्तमान में 01 (एक) ही कार्यरत है तथा PHC आमजोड़ा, आसनबनी में 02 (दो–दो) पद स्वीकृत है पर दोनों PHC में एक भी चिकित्सक कार्यरत नही है तथा दवाईयों का भी घोर अभाव है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानेश्वर में दो चिकित्सक कार्यरत है जिसमें एक चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिकारीपाड़ा में है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमजोड़ा एवं आसनबनी में एक–एक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है, जो उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश में है। डॉ0 मिथिलेश कुमार यादव, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिकारीपाड़ा को सप्ताह में दो दिन चिकित्सकीय कार्य हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमजोड़ा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसनबनी में प्रतिनियुक्त किया गया है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमजोड़ा में 02 ए0एन0एम0 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आसनबनी में 03 ए0एन0एम0 कार्यरत है, उक्त वर्णित चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों द्वारा आमजनों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के अनुरूप नहीं होने के कारण मरीजों का ईलाज सही तरीके से नही हो पाता है तथा लोगो को काफी परेशानी उठाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध चिकित्सकों, ए0एन0एम0 तथा अन्य पारामेडिकल कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति व दवाईयाँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नये चिकित्सकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–11/2023 250 (3) राँची, दिनांक: 14.03.2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 756/वि0स0 दिनांक 01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.2023

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–11/2023 250 (3) राँची, दिनांक: 14.03.2023

प्रतिलिपि: अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.2023

सरकार के अपर सचिव

461

श्री जिग्गा सुसासन होरो, मा0 स.वि.स. द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0 47 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री नारायण दास, मा0 स.वि.स.		**मा0 मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**
1.	क्या यह बात सही है कि सिसई विधान सभा क्षेत्र के कामडारा प्रखण्ड अन्तर्गत रेड़वा गाँव में ग्राम सभा द्वारा पारित तहसील कचहरी बनना था, जो हापू में निम्न स्तर का बना दिया गया है,		**आंशिक स्वीकारात्मक।** रेड़वा में तहसील कचहरी हेतु चयनित जमीन पहाड़ी जमीन होने के कारण भवन का निर्माण किया जाना संभव नहीं था। फलतः वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उक्त कार्यालय के निर्माण हेतु हल्का–01, मौजा–हापू में जमीन चयनित कर तहसील कचहरी भवन का निर्माण कराया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–हापू में निर्मित तहसील कचहरी भवन प्राक्कलन के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण है।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित हापू में बनने से ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाईयाँ होती है,		**आंशिक स्वीकारात्मक।** अनुमंडल पदाधिकारी, बसिया के पत्रांक–152 (I), दिनांक–21.02.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का नं0–1, ग्राम–रेड़वा जाने में पथरीली जमीन है, गांव के निकट अन्य गैजमरूआ जमीन नहीं है। हल्का–01, मौजा–हापू में निर्मित तहसील कचहरी आगमन हेतु PCC रास्ता निर्मित है। मौजा–हापू में तहसील कचहरी का निर्माण हेतु से सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत होता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं खण्ड–2 में वर्णित विषय को देखते हुए ग्रामीणों के हित में कदम उठाने तथा दोषी पदाधिकारियों व संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में वस्तुस्थिति सुस्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–10/विधान सभा (तारां.)–06/2023 1018/रा., राँची, दिनांक–15-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 701/वि.स., दिनांक–28.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

(962)

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–33 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि उपेन्द्र नाथ वर्मा इण्टर महाविद्यालय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया नगर (पकरिया) जिला–चतरा में वर्ष 1992 से संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अंचल अधिकारी, सदर चतरा के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–पकरिया, थाना–चतरा, थाना नं0–174 में खाता–13, प्लॉट–67, 82, 89, 1 में रकबा–7.85 एकड़ भूमि महामहिम राज्यपाल बिहार के नाम से 1993 में उपेन्द्र नाथ वर्मा इण्टर महाविद्यालय, चतरा के निमित्त निबंधित है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपेन्द्र नाथ वर्मा इण्टर महाविद्यालय के पदेन सचिव बद्री प्रसाद वर्मा के द्वारा 25.03.2011 को खाता नं0–13, प्लॉट–67, रकबा–2.00 (दो एकड़) भूमि निबंधित लीज डीड द्वारा ग्रामोदय चेतना केन्द्र की पदेन सचिव सविता बनर्जी को 30 साल के लीज पर दिया गया तथा 28.03.2011 को लीज को रद्द कर दिया गया तथा 20 लाख रूपये निजी संस्था में ट्रांसफर कर लिये गये ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यपाल के नाम निबंधित जमीन को लीज पर देने तथा वित्तीय गबन करने के दोषी खण्ड–03 में वर्णित पदेन सचिव पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रक्रियाधीन। उपायुक्त, चतरा के प्रतिवेदानुसार 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपया की वापसी हेतु प्राचार्य उपेन्द्र नाथ वर्मा इंटर महाविद्यालय, चतरा द्वारा सचिव ग्रामोदय चेतना केन्द्र को पत्राचार किया गया, लेकिन अभी तक सचिव ग्रामोदय चेतना केन्द्र के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वर्तमान में दिनांक–25.03.2023 को उपेन्द्र नाथ वर्मा इंटर महाविद्यालय, चतरा की तदर्थ समिति की बैठक आहुत कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 06 / वि0स0 चतरा (तारां0)–77 / 2023 1042 / रा0, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–614 / वि0स0, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(463)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत कर्रा प्रखण्ड के रैयतों का ऑनलाईन भूमि रिकार्ड में गलत नाम एवं रकबा दर्ज हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गलत नाम एवं रकबा दर्ज होने के कारण वहाँ के रैयतों का भूमि से संबंधित कार्य जैसे–क्रय–विक्रय, आय एवं जाति प्रमाण पत्र तथा L.P.C आदि बनवाने में असुविधा हो रही है;	अस्वीकारात्मक। (क्रय–विक्रय–3441, आय एवं जाति प्रमाण पत्र निर्गत–124393, LPC निर्गत–287)
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कर्रा प्रखण्ड के रैयतों के ऑनलाईन में दर्ज नाम एवं रकबा शीघ्र सुधार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	परिशोधन पोर्टल अंतर्गत रैयतों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों तथा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज के आलोक में जाँचोपरान्त एवं सत्यापनोपरांत ऑनलाईन भूमि रिकॉर्ड में अंकित त्रुटियों का निराकरण अंचल कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। कर्रा प्रखण्ड अंतर्गत रैयतों द्वारा सुधार हेतु परिशोधन पोर्टल एवं ऑफलाईन माध्यम से दर्ज किये गये आवेदन के आलोक में अबतक 6350 सुधार किये जा चुके हैं तथा सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01/निदे0 अभि0, वि0स0 (तारां0)–09/2023...114/रा.x/ राँची, दिनांक–14-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–606, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-3-23
सरकार के अवर सचिव।

464

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या स0– 27 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में किसी भी सेवा संवर्ग के अधिकारियों –पदाधिकारियों एवं कर्मियों को किसी भी परिस्थिति में एक जिले में अधिकतम 03 वर्ष और एक प्रमण्डल में अधिकतम 06 वर्षों तक पदस्थापन का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि डॉ0 आलोक विश्वकर्मा, सिविल सर्जन, धनबाद विगत 15 वर्षों से धनबाद जिले में चिकित्सा सेवा के पद पर वर्ष 2011–12 से 2019–20 तक तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पद पर रहते हुए दवा क्रय में अनियमितता पाए जाने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर, धनबाद के लेखा प्रबंधक श्री संचित श्रीवास्तव को वित्तीय अधिकार प्रभाव से हटा दिया था, परन्तु सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापित होते ही अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उक्त प्रबंधक को पुनः उक्त केन्द्र के उक्त पद पर पदस्थापित कर दिया, जबकि उक्त प्रबंधक को सरकार द्वारा गोड्डा स्थानांतरित कर दिया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। डॉ0 आलोक विश्वकर्मा का पदस्थापन विवरणी निम्नवत् है :– 1. वर्ष 2009 से 2013 तक– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी, धनबाद 2. वर्ष 2013 से 2022 तक– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर, धनबाद 3. वर्ष 2022 से अबतक – सिविल सर्जन, धनबाद श्री संचित श्रीवास्तव, प्रखण्ड लेखा प्रबंधक को दवा क्रय में अनयिमितता पाये जाने के कारण डॉ0 श्याम किशोर कांत, तत्कालीन सिविल सर्जन, धनबाद के आदेश ज्ञापांक 1056(DHS) दिनांक 30.10.2021 के द्वारा वित्तीय अधिकार प्रभार से हटा दिया गया था। श्री श्रीवास्तव, प्रखण्ड लेखा प्रबंधक को विभागीय आदेश ज्ञापांक 257(21) दिनांक 22.12.2022 में निहित आदेश के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 2870 दिनांक 24.12.2022 द्वारा संचित श्रीवास्तव को गोड्डा में योगदान हेतु दिनांक 25.12.2022 के अपराह्न से विरमित कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड– 1 में वर्णित प्रावधान अन्तर्गत उक्त सिविल सर्जन को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए खण्ड–2 में वर्णित वित्तीय अनियमितता की उच्चस्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद जिले में लंबे समय से पदस्थापित डॉ0 आलोक विश्वकर्मा के अन्यत्र स्थानांतरण पर आगामी स्थापना समिति की बैठक में विचार किया जायेगा। सिविल सर्जन, धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री संचित श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–05/2022 265 (3) राँची, दिनांक: 16.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 600/वि0स0 दिनांक 27.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–05/2022 265 (3) राँची, दिनांक: 16.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(465)

श्री दीपक बिरूआ, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–42 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री दीपक बिरूआ, माननीय स0वि0स0		माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल में पाँच हजार से अधिक सरकारी भूमि की अवैध जमाबंदी वादों के मामले लंबित है;		आंशिक स्वीकारात्मक। कोल्हान प्रमण्डल अन्तर्गत अवैध जमाबंदी के कुल –1424 मामले प्रक्रियाधीन है। जिला – मामले पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा – 106 पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर – 759 सरायकेला–खरसावाँ – 559
2.	क्या यह बात सही है कि अधिकारियों की लापरवाही और दलालों की सक्रियता की वजह से सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी दूसरों के नाम हो रही है;		अस्वीकारात्मक। सम्प्रत्ति इस प्रकार का मामला प्रकाश में नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिकृत पदाधिकारियों को उचित मार्ग दर्शन देते हुए विधि सम्मत कार्रवाई कर लंबित मामलों को निष्पादित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		अवैध जमाबंदी के निष्पादन हेतु राज्य स्तर से समय–समय पर मार्गदर्शन निर्गत किया जाता रहा है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–04 / वि0स0 (तारां.)– 19 / 2023 993 / रा0 राँची, दिनांक– 14-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–704 वि0 स0, दिनांक–28.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / माननीय विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(466)

श्री ज सिन्हा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 रा0–53 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री राज सिन्हा, माननीय स0वि0स0		माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्यभर के चौबिसों जिले में हलका कर्मचारी और अमीन के पद रिक्त हैं, जिससे भूमि विवाद और दूसरे मामलों के निष्पादन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में उक्त दोनों पदों के लिए 40 फीसदी पद खाली रहने से लोगों को परेशानी के अलावा सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है;		स्वीकारात्मक धनबाद जिला में राजस्व उप निरीक्षक एवं अमीन के स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल की विवरणी निम्नवत् है:–

कर्मी का पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
राजस्व उप निरीक्षक	92	55	37
अंचल अमीन	20	08	12

3	क्या यह बात सही है कि पाँच दशक पूर्व की आबादी के आधार पर धनबाद में हलका कर्मचारी और अमीन के स्वीकृत पदों के आधार पर जिले में कार्य संचालन हो रहा है और इसमें भी करीब आधे पद रिक्त है तथा कुछ कर्मी सेवानिवृत्त होने वाले हैं;		स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद जिला में हलका कर्मचारी एवं अमीन के रिक्त पदों पर कर्मियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		W.P.(C) No.-3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य–बनाम्–झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य संलग्न वादों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–16.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से दिशा–निदेश प्राप्त होने के पश्चात् राजस्व उप निरीक्षक एवं अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–3/वि0स0(तारा0)–17/2023 1021 (3)/रा0 राँची, दिनांक–15-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–979/वि0स0, दिनांक–05.03.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

सरकार के उप सचिव।

467

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–35 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न		उत्तर
	श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स०		मा० मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत प्रखण्ड तरहसी के सोनपुरा पंचायत अन्तर्गत राजस्व ग्राम सिलदिलीया कला एवं कोशियारा के विकास से संबंधित कार्यो का निष्पादन तरहसी प्रखण्ड से होता है;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित राजस्व ग्रामों के ग्रामीणों को राजस्व से संबंधित सभी कार्यो के लिए आज भी अनावश्यक समय एवं आर्थिक व्यय कर मनातु अंचल कार्यालय जाना पड़ता है;		आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राजस्व ग्राम सिलदिलीया कला एवं कोशियारा को तरहसी अंचल के हल्का–09 में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। जिला से इस संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सम्यक् जाँचोपरान्त नियमानुसार समुचित निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–2/रा०स्था०वि०स०(तारांकित)–23/2023.....1025.....(2)/रा., राँची, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. प्र.–612/वि.स., दिनांक– 27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा० विभागीय (मुख्य)/प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/23

सरकार के उप सचिव।

(468)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–11 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, कि चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड में सी0सी0एल0 की आम्रपाली, चन्द्रगुप्त एवं मगध संघमित्रा में कोयला खनन हेतु भूमि अधिगृहित की गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि अधिग्रहिण गैरमजरूआ खास भूमि (जंगल झाड़ी) का जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन के पश्चात् भी सी0सी0एल0 द्वारा वन विभाग से अनापत्ति की बात बताकर पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के अन्तर्गत नौकरी एवं मुआवजा नहीं दे रही है, जबकि इस प्रकार के भूमि पर कोयला खनन् कार्य किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। गैरमजरूआ खास (जंगल–झाड़ी) भूमि पर, जिला प्रशासन द्वारा NOC एवं स्वामित्व सत्यापन तथा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा Forest Diversion के पश्चात्, सी0आई0एल0 के द्वारा आर0 एण्ड आर0 पॉलिसी, 2012 के तहत् प्रति 2.00 एकड़ जमीन पर एक नौकरी दिया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिगृहित गैरमजरूआ खास (जंगल झाड़ी) भूमि पर पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के अन्तर्गत नौकरी एवं मुआवजा देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08 ए0/भू0अ0नि0, वि0स0 (तारा0)–27/2023 191/वि.स. राँची, दिनांक–14-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–208/वि0स0, दिनांक–22.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/23
सरकार के अवर सचिव।

F:\Narendra sir\vidhan sabha 8A (Vikrant)

(469)

श्रीमती सबिता महतो, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–32 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती सबिता महतो, मा0स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सुवर्णरेखा परियोजना से हुए विस्थापितों को पुनः बसाने के उद्देश्य से कुल–13 पुनर्वास स्थल विकसित किए गये हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, सुवर्णरेखा परियोजना निर्माण में हुए विस्थापितों को उपलब्ध कराए गए भूखण्ड का आज तक उक्त भूमि का स्वामित्व या वासगत पर्चा निर्गत नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सुवर्णरेखा परियोजना के निर्माण से हुए विस्थापितों को उपलब्ध कराये गये भूमि का वासगत पर्चा/स्वामित्व पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प सं०–820 दिनांक–18.11.2016 द्वारा भू–अर्जन से प्रभावित/विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित वासस्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान करने हेतु प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधान के आलोक में उपायुक्त कार्यालय, सरायकेला–खरसावां के पत्रांक–455/रा० दिनांक–03.03.2023 द्वारा अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर से निर्धारित प्रपत्र में आवंटित भूमि विवरणी एवं अन्य विवरणी का सत्यापन कर तथा परियोजना प्रमुख का हस्ताक्षर अंकित कराकर प्रस्ताव की मांग की गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–02 बी०/भू०अ०नि०(वि०स०) तारा–20/2023 204/नि. राँची, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–615/वि०स०, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.23

सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Naina Mam/QA (Aman)

पढ़ाई चालू कराना ।

उत्तर मुद्रित

*470. श्री भानू प्रताप शाही--क्या मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रखण्ड श्रीबंशीधर नगर स्थित महदैया में आई०टी०आई० कॉलेज बन कर तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि आई०टी०आई० कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने से क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राओं को आई०टी०आई० की डिग्री लेने के लिए कही अन्यत्र जगह जाना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित आई०टी०आई० कॉलेज में अतिशीघ्र पढ़ाई चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । गढ़वा जिलान्तर्गत तीन सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गढ़वा, भंडरिया एवं झगड़ाटॉड संचालित है । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रंका एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गढ़वा को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत गोपीनाथ सिंह जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, इसके अतिरिक्त गढ़वा जिलान्तर्गत चार प्राईवेट आई०टी०आई० संचालित है । इस तरह सरकारी एवं गैर सरकारी आई०टी०आई० के माध्यम से जिले के छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त है ।

(3) बंशीधर नगर अंतर्गत महदेईया (नगरउटारी) में निर्मित आई०टी०आई० में प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु TSP (Training Service Provider) को आवंटित करने की नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है;

श्रीमती सबिता महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती सबिता महतो, मा0स0वि0स0	**माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सुवर्णरेखा परियोजना के लिए मौजा–घोड़ानेगी, थाना–चाण्डिल के लगभग 120 रैयतों के कुल–60 एकड़ जमीन की भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना बांध प्रमंडल, चाण्डिल के पत्रांक–286, दिनांक– 25.03.2022 द्वारा समर्पित अधियाचना के आलोक में भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा–11(1) के तहत 118 रैयतों के 51.56 एकड़ भूमि का प्रारंभिक अधिसूचना जिला गजट के साधारण अंक सं0–212 दिनांक–15.07.2022 द्वारा प्रकाशित है।
2	क्या यह बात सही है कि सुवर्णरेखा परियोजना के दायें तट शिविर का रैयत जमीन पर बिना मुआवजा का भुगतान किये लगभग 40 वर्षो से दखल किया गया है और आजतक भू–स्वामी को मुआवजा का भुगतान नही किया गया है,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कुल–120 रैयतों को भूमि अधिग्रहण के उपरांत मिलने वाली मुआवजा राशि का भुगतान लंबित है,	आंशिक स्वीकारात्मक। कुल 118 रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जाना है।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 एवं खण्ड–02 में अर्जित भूमि हेतु राशि का आवंटन/भुगतान करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भू–अर्जन हेतु अधिसूचित रकवा–51.56 एकड़ भूमि के विरूद्ध आवंटन हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना, चाण्डिल के पत्रांक–164, दिनांक–06.07.2022 एवं पत्रांक–341(06), दिनांक– 07.01.2023 द्वारा कार्यपालक अभियंता, बांध प्रमण्डल, चाण्डिल, जल संसाधन विभाग को अधियाचना भेजी गई है, आवंटन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार मुआवजा का भुगतान किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02बी0/भू0अ0नि0(वि0स0) तारा–19/2023...205/G.I राँची, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–611, दिनांक–07.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दौ सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड राँची/विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

सरकार के अवर सचिव

D/Sec1/Naina Mam/VO(Acif)

473

श्री सुखराम उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–39 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल अस्पताल परिसर में अस्पताल कर्मचारियों हेतु आवास उपलब्ध है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर अनुमण्डल अस्पताल के कर्मियों को आवंटित सभी आवास जर्जरावस्था में है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियाँ हो रही है;	स्वीकारात्मक। अनुमंडल अस्पताल, चक्रधरपुर परिसर में चिकित्सा पदाधिकारी का तीन अदद एवं स्वास्थ्य कर्मियों का बारह अदद सरकारी आवास पूर्व से निर्मित है, जो अति जर्जर अवस्था में है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक 1028 दिनांक–15.12.2017 के द्वारा उक्त सभी भवनों को कन्डम (Condemn) घोषित किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि बरसात के दिनों में उक्त आवासों से पानी टपकता है एवं दुर्धटना की भी आशंका बनी रहती है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चक्रधपुर अनुमण्डल परिसर अवस्थित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नया आवास या विशेष मरम्मति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सिविल सर्जन, चाईबासा के पत्रांक–403, दिनांक–03.03.2023 एवं विभागीय पत्रांक–250(5), दिनांक–13.03.2023 द्वारा अनुमण्डल अस्पताल, चक्रधरपुर परिसर में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के जर्जर भवन के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल चाईबासा को प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के साथ विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–16/2023– 267(5) स्वा, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 976 वि0स0, राँची, दिनांक–05.03.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2023
अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–16/2023– 267(5) स्वा, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2023
अवर सचिव

474

डॉ० ईरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–10 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न डॉ० ईरफान अंसारी, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिला अंतर्गत दामोदर घाटी परियोजना के निर्माण हेतु विभिन्न ग्रामों के रैयतों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि भूमि अधिग्रहण के पश्चात् संबंधित व्यक्तियों के अभी भी कतिपय मामले से भुगतान हेतु लंबित है और डूब क्षेत्र के गांव यथा मुर्गा टोना, चंद्रढ़ीपा, गुआकोला, लदना, लीलादह, मेंजिया, श्यामपुर, बिरगांव आदि में कॉरपोरेट दायित्व के तहत् आवश्यकता जनहित योजनाओं योजनाएं में किसी प्रकार की राशि का व्यय नहीं किया गया;	आंशिक स्वीकारात्मक। दामोदर घाटी निगम के लिए भूमि अधिग्रहण तत्कालीन भू–अधिग्रहण कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा तत्क्षण प्रभावी भू–अधिग्रहण कानून के तहत् भू–धारियों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। यदि किसी रैयत का मुआवजा भुगतान लंबित है तो इसकी पहचान के पश्चात् मुआवजा भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के प्रोजेक्ट के 10 किमी० त्रिज्या क्षेत्र में निगम [illegible] निगम सामाजिक दायित्व पॉलिसी के तहत् विकास कार्य करती आ रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभावित लागों को मुआवजा के भुगतान एवं डूब क्षेत्र के गांव में अविलंब कॉरपोरेट दायित्व के तहत् आवश्यकता जनित योजनाओं के कार्यान्वयन का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–26/2023-213/रा.स., राँची, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–206, दिनांक–22.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 204 (SOHAN)

475

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–48 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड अंतर्गत बड़गाँव पंचायत के ग्राम–बड़गाँव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय गैरमजरूआ खास भूमि पर बना हुआ है ;	स्वीकारात्मक। संबंधित विद्यालय गैरमजरूआ खास किस्म–परती कदीम में कुल 25.5 डिसमिल भूमि पर निर्मित्त है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान समय में विद्यालय के भूमि का अतिक्रमण कर ग्रामीणों के द्वारा जबरन कब्जा कर घर बना दिया गया है, जिससे विद्यालय का भवन निर्माण हेतु स्थान काफी कम हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विद्यालय परिसर के बाहर तकरीबन 1.83 डिसमिल भूमि चार व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण की जाँच कर विद्यालय की भूमि को मुक्त कराते हुए अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अतिक्रमण मुक्त करने हेतु संबंधित अतिक्रमणकारियों को जिला स्तर से नोटिस निर्गत किया गया है एवं 30 दिनों के अन्दर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5 / स0भू0 वि0स0 चतरा (तारां0)–38 / 2023.1037 (5) / रा0 राँची, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–699 / वि0स0, दिनांक–28.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.2023
सरकार के अवर सचिव।

(476)

15/03/2023

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछा जाने वाला तरांकित प्रश्न संख्या – ग0–04 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्री मथुरा प्रसाद महतो,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिलान्तर्गत काली मेला, डूंगरी बस्ती निवासी सुभाष कुमार महतो, पिता–फूलचंद महतो का दुबई के शाहजहां में प्रवासी मजदूर के रूप में कार्य करने के दौरान दिनांक–05.01.2023 को आकस्मिक निधन हो गया था;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** श्री सुभाष कुमार महतो की मृत्यु दिनांक–05.01.2023 को Cardiogenic Shock के कारण हुई है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि मृतक श्री महतो की मृत्यु सामान्य है।
2	क्या यह बात सही है, कि प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी प्रांत या विदेश में कार्य करने के दौरान निधन होने पर उनके परिजनों को सरकारी सहयोग/मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है;	वस्तुस्थिति यह कि विभागीय अधिसूचना संख्या–1911, दिनांक–30.10.2019 द्वारा प्रवृत्त मुख्यमंत्री झारखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अन्तर्गत विदेश में प्रवास के दौरान असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में ही मृतक को सरकारी मुआवजा/सहयोग राशि दिये जाने का प्रावधान है। स्व0 महतो की मृत्यु सामान्य मृत्यु है फलस्वरूप उपरोक्त विभागीय अधिसूचना की कंडिका–02(Vi) के आलोक में सरकारी मुआवजा/सहयोग राशि अनुमान्य नहीं है।
3	क्या यह बात सही है, कि खण्ड (1) में वर्णित प्रवासी मजदूर का निधन के उपरांत उनके परिजनों को किसी भी प्रकार का सरकारी सहयोग/मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है;	उपरोक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित प्रवासी मजदूर के परिजनों को सरकारी/मुआवजा राशि या सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

15/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–18/2023श्र0नि0– 527 **राँची, दिनांक–** 15/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का पत्र सं0–50/वि0स0, दिनांक–17.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–18/2023श्र0नि0– 527 **राँची, दिनांक–** 15/03/2023

प्रतिलिपिः– गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक–1036, दिनांक–24.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–28 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग/ रामगढ जिला अंतर्गत बड़कागॉव विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहित कर एनटीपीसी, अडानी लि०, एल एंड टी इत्यादि कंपनियों को सौंपी गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजाति की भूमि बगैर सीएनटी नियम का अनुपालन ओर निबंधन नियमावली का उल्लंघन कर भूमि अधिग्रहित की गई है,	अस्वीकारात्मक। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई वर्तमान में RFCTLARR Act 2013 के तहत् एवं एनटीपीसी द्वारा CBA Act के अधीन की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि कंडिका एक में वर्णित परियोजनाओं को बगैर राज्यादेश के गैरमजरूआ आम तथा खास जमीन का अधिग्रहण किया गया है और परियोजना प्रभावित रैयत गैरमजरूआ भूमि के मुआवजे के लिए भटक रहे है,	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सीएनटी नियम का उल्लंघन करने पर कंपनी प्रबंधन के उपर कार्रवाई करते हुए एवं गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–31/2023 206/भू० राँची, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–621, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 205 (SOHAN)

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–मद्य 01 का उत्तर

क्र0	प्रश्नकर्त्ता– श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता–माननीय प्रभारी मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड के भगहर पंचायत में अवैध महुआ से शराब बनाया जाता है।	आंशिक स्वीकारात्मक। –इस संदर्भ में कहना है कि भगहर पंचायत बिहार राज्य से सटा हुआ नक्सल प्रभावित जंगली क्षेत्र है जो चौपारण थाना से 10–15 किलोमीटर दूर है। इस पंचायत के ग्राम भगहर, परसातरी, अम्बातरी एवं लोहरा में संलिप्त अवैध शराब के भटियों के संबंध में गुप्त सूचना के आधार पर अवर निरीक्षकों एवं चौपारण थाना के सहयोग से दिनांक 28.03.19, 10.07.19, 19.07.19, 15.11.19, 18.01.20, 28.02.20, 10.05.20, 19.05.20, 06.06.20, 09.07.20, 17.07.20, 20.08.20, 19.09.20, 20.09.20, 09.01.2021, 12.01.2021, 22.01.2021, 28.02.2021, 12.03.2021, 29.08.21, 27.02.22, 07.03.22, 08.03.22, 31.07.22, 08.08.22, 05.09.22, 29.09.22, 15.10.22, 22.11.22, 18.12.22, 29.12.22, 21.01.23, 08.02.23 एवं 18.02.23 को छापामारी किया गया है एवं संबंधित व्यक्तियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। उपरोक्त छापामारी के दौरान दर्ज अभियोगों में जब्त प्रदर्श की विवरणी निम्न है–

क्र	दिनांक	दर्ज अभियोग की सं0	जब्त अवैध जावा महुआ (in Kg)	जब्त अवैध चुलाई शराब (in ltr)	जब्त देशी शराब (in ltr)	जब्त विदेशी शराब (in ltr)	जब्त वाहन
1	28.03.19	9	14500	300	0	0	0
2	10.07.19	7	2620	240	0	0	0
3	19.07.19	17	6415	590	0	0	0
4	15.11.19	7	7000	310		0	0
5	18.01.20	14	19800	1400	0	0	0
6	28.02.20	18	12000	800	300	0	02 (1 motor cycle & 1 Tata Sumo)
7	10.05.20	4	0	250	0	0	04(motor cycle)
8	19.05.20	8	5000	495	0	0	0
9	06.06.20	1	0	1170	0	0	01(Pick up)
10	09.07.20	2	800	82	0	0	0
11	10.07.20	6	6100	430	0	0	0
12	20.08.20	7	950	90	0	0	0
13	19.09.20	5	6200	410	0	0	0
14	20.09.20	11	3795	200	0	0	0
15	09.01.21	8	4700	320	0	0	0
16	12.01.21	12	15000	700	0	0	0
17	22.01.21	7	12000	445	0	0	0
18	28.02.21	10	11000	540	0	0	0
19	12.03.21	6	4600	365	0	0	0
20	29.08.21	12	4100	420	0	0	0
21	27.02.22	10	4550	295	0	0	0
22	07.03.22 एवं 08.03.22	27	50200	1090	0	0	0
23	31.07.22	6	58000	20	0	0	0
24	08.08.22	13	56200	380	0	0	0
25	05.09.22	11	14000	605	0	0	0
26	29.09.22	6	4300	170	0	0	0
27	15.10.22	5	3200	140	0	0	0
28	22.11.22	11	7900	355	0	0	0
29	18.12.22	5	1800	150	0	0	0
30	29.12.22	6	2500	320	0	18	0
31	21.01.23	6	4000	370	0	0	0
32	08.02.23	17	7150	870	0	0	0
33	18.02.23	5	5900	300	0	0	0
	कुल	299	356280	14622	300	18	

दर्ज कुल अभियोग– 299
जेल – 07
फरार– 292

		292 फरार अभियोगों मे से 270 में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है शेष 22 अभियोगों में अनुसंधान कार्य जारी है शीघ्र आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित कर दी जायेगी। दिनांक–18.02.2023 को अवर निरीक्षक उत्पाद, चौपारण अंचल एवं टास्क फोर्स, हजारीबाग, अनुमंडल पदाधिकारी, बरही के द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, वन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त वन पदाधिकारी, चौपारण थाना एवं गया जिला (बिहार) के उत्पाद पदाधिकारियों के सहयोग से संयुक्त छापामारी चौपारण प्रखण्ड के भगहर, भंडार अम्बातरी एवं परसातरी में किया गया जिसमें अवैध जावा महुआ 5900 किग्रा0 विनष्ट एवं अवैध चुलाई शराब 300 ली0 बरामद किया गया तथा 5 अभियुक्तों पर माननीय न्यायालय में अभियोग दर्ज कर वारंट निर्गत हेतु अनुरोध किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि शराब बनाने में लगभग 50 ट्रैक्टर लकड़ी प्रतिदिन जंगल से लाया जाता है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । – शराब बनाने हेतु 50 ट्रैक्टर लकड़ी प्रतिदिन जंगल से लाये जाने की बात सत्य नहीं है। चौपारण प्रखण्ड के भगहर एवं आस–पास के क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण एवं वनों से लकड़ियों के पातन की सूचनाएँ कभी–कभी प्राप्त होती हैं। पिछले दो वर्षों में अवैध शराब निर्माण एवं वनों के पातन के विरूद्ध पुलिस बल के सहयोग से विभाग द्वारा कार्रवाई भी की गई है। इस क्रम में अबतक 101 व्यक्तियों के विरूद्ध कुल 20 वनवाद दर्ज किये गये हैं। उपरोक्त कार्रवाई के अतिरिक्त वर्ष 2022 में अवैध शराब निर्माण एवं वनों से लकड़ियों के अवैध पातन के विरूद्ध छापामारी एवं अन्य आवश्यक वैधानिक एवं निरोधात्मक कार्रवाई लगातार की गई है। इसी क्रम में दिनांक–03.06.2022 एंव दिनांक–23.06.2022 को भगहर वन में शराब निर्माण हेतु लकड़ी के अवैध पातन एवं परिवहन के जुर्म में दो ट्रैक्टर–ट्रेलरों की उस पर लदे जलावन लकड़ी के साथ जब्ती की गई है तथा वनवाद भी दर्ज किये गये है। साथ ही दोनों ट्रैक्टरों एवं उस पर लदे वन पदार्थों पर अधिहरण वाद भी प्रारंभ कर अधिहरण की कार्रवाई की गई है। दिनांक–21.07.2022 को पुलिस बल की उपस्थिति में भगहर में अवैध शराब के विरूद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें शराब निर्माण में प्रयुक्त किये जाने वाले शराब भट्ठियों तथा अन्य सामानों को नष्ट करते हुए 05 दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध वन वाद दर्ज किया गया है। दिनांक–01.08.2022 को वृहत छापामारी कर करीब 7 ट्रैक्टर–ट्रेलर (लगभग 560 cft.) जलावन जब्त किये गये हैं तथा 75 व्यक्तियों के विरूद्ध वन वाद दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।
3	क्या यह बात सही है कि शराब बनाने के लिये स्वयं मंत्री मद्य निषेध विभाग स्थल जॉच किये है	स्वीकारात्मक। –दिनांक 31.07.2022 को माननीय उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री, माननीय विधायक, बरही श्री उमा शंकर अकेला, अनमुण्डलीय पुलिस पदाधिकारी, बरही, वन विभाग के पदाधिकारी एवं सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग के पर्यवेक्षण में चौपारण प्रखण्ड के भगहर पचांयत अन्तर्गत ग्राम भगहर, परसातरी, अम्बातरी में उत्पाद छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान मौके वरदात एक अभियुक्त मुन्नी लाल कुमार, पिता कैलाश प्रसाद, सा0 परसातरी, थाना चौपारण, हजारीबाग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अन्य शराब कारोबारी छापामारी दल को देखकर फरार हो गये जिसमें 05 फरार अभियुक्तों पर चौपारण थाना में FIR दर्ज की गई है।
4	क्या यह बात सही है कि शराब बनाने हेतु मदद उत्पाद	अस्वीकारात्मक। –उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री राजीव नयन, अवर निरीक्षक उत्पाद, चौपारण अंचल द्वारा शराब बनाने में सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है। दिनांक 16.12.2022 से

	विभाग सब इन्सपेटक्र राजीव नयन मोटी रकम लेकर बनवाते है।	श्री राजीव नयन चौपारण अंचल में पदसथापित है। उपरोक्त तिथि से दिनांक 01.03.2023 तक कुल 43 अभियोग दर्ज किया गया है। जिसमें जब्त प्रदर्श निम्न है– अवैध जावा महुआ– 20950 किग्रा0 अवैध चुलाई शराब– 2010 ली0 विदेशी शराब– 3430.62 ली0 देशी शराब– 675 ली0 अवैध सुषव– 10 ली0 कैरेमल– 8.50 ली0 एसेंस– 1.30 ली0 विभिन्न ब्राण्डों यथा इम्पेरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडोवेल, रॉयल चैलेंज, स्टेरलिंग बी7 का होलोग्राम, ढक्कन, लेबल काफी मात्रा में जब्त किया गया।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजीव नयन पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों?	क्रमांक 1, 3 एवं 4 के अनुसार

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–04/विधायी–04–03/2023(उ0) 660 रॉची दिनांक– 16/3/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र.–204/वि0स0 दिनांक–22.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2023
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक–10 / विधानसभा(तारां)–07 / 2023..... (479)

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

श्री नारायण दास, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–रा–43 का उत्तर।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
	श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0	माननीय मंत्री, श्री हफिजुल हसन, निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के रजिस्ट्री कार्यालयों से सरकार को 1000 करोड़ रूपये से भी अधिक राजस्व की प्रप्तियाँ होती है, जिसमें सिर्फ देवघर रजिस्ट्री कार्यालय से सरकार को प्रत्येक दिन औसतन 25 लाख रूपये राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। संप्रति देवघर निबंधन कार्यालय से लगभग 6–8 लाख रूपये प्रतिदिन राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।
2	क्या यह बात सही है कि देवघर, राँची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह सहित राज्य के कई अन्य रजिस्ट्री कार्यालयों की स्थिति एक दम जर्जर हो चुकी है तथा उक्त जिलों में अभी भी कई रजिस्ट्री कार्यालय भाड़े के मकान में चल रही है, जहाँ लोगों को पेयजल, शौचालय सहित अन्य सुविधाओं के लाभ से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्यांतर्गत कई निबंधन कार्यालयों यथा कोडरमा, गोड्डा, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, खूँटी, रामगढ़ आदि समाहरणालय परिसर/भवन में अवस्थित है जिनकी स्थिति अच्छी है अन्य निबंधन कार्यालयों के जीर्णोद्धार हेतु विभागीय पत्रांक–101, दिनांक–09.03.2023 से समस्त निबंधन कार्यालयों से निबंधन कार्यालय के भवन के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है तथा प्राप्त प्रतिवेदन का आंकलन कर निबंधन कार्यालय का जीर्णोद्धार एवं जन साधारण को मूल सुविधाएँ प्रदान कराने के संबंध में कार्य किया जाएगा।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में वर्णित कार्यालयों के भवन निर्माण व जीर्णोद्धार सहित आमजन को मूलभूत सुविधाएँ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। उत्तर कंडिका–2 में निहित है।

ज्ञापांक–10 / विधानसभा(तारां)–07 / 2023.....1039/0..... राँची, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–702 दिनांक–28.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

480

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स –13 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखण्ड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरगामा के नाम से स्वीकृति के बाद भी अब तक आधारभूत संरचना (भवन इत्यादि) 30 शैय्या का निर्माण नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पथरगामा एवं बसंतराय के अधिकतर रोगी/ महिला प्रसव जैसे अधिकतर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरगामा में ही लाभ ले रहे हैं, जिसमें महिला प्रसव सबसे ज्यादा हो रही है;	अस्वीकारात्मक। बंसतराय प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएँ (प्रसव/अन्य चिकित्सया सेवा) प्रदान की जा रही है। बसंतराय प्रखण्ड में कुल –09 स्वास्थ्य उपकेन्द्र (बसंतराय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी सहित) यथा–सनौन –7 किलोमीटर, रूपनी –04 किलोमीटर, राहा –15 किलोमीटर, पकड़िया– 03 किलोमीटर, मेदिनीचक –05 किलोमीटर, महेशपुर–08 किलोमीटर, लक्ष्मीपुर –12 किलोमीटर, कैथिया –04 किलोमीटर एवं जहाजकित्ता –06 किलोमीटर है, जिसमें अन्य चिकित्सय सुविधाओं के साथ–साथ प्रसव सुविधा भी प्रदान की जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 के आलोक में वर्तमान समय में महज छः बेड रहने के कारण रोगी को काफी दिक्कत हो रही है;	अस्वीकारात्मक। बंसतराय प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएँ (प्रसव/अन्य चिकित्सया सेवा) प्रदान की जा रही है। बसंतराय प्रखण्ड में कुल –09 स्वास्थ्य उपकेन्द्र (बसंतराय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी सहित) यथा–सनौन –7 किलोमीटर, रूपनी –04 किलोमीटर, राहा –15 किलोमीटर, पकड़िया– 03 किलोमीटर, मेदिनीचक –05 किलोमीटर, महेशपुर–08 किलोमीटर, लक्ष्मीपुर –12 किलोमीटर, कैथिया –04 किलोमीटर एवं जहाजकित्ता –06 किलोमीटर है, जिसमें अन्य चिकित्सय सुविधाओं के साथ–साथ प्रसव सुविधा भी प्रदान की जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार–सरकार द्वारा निर्धारित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरगामा को 30 शैय्या का आधारभूत संरचना इत्यादि बनाने की स्वीकृति देना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	दिनांक–09.01.2023 को राज्यस्तर पर आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही की कंडिका–23 के आलोक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरगामा के भवन निर्माण के लिए सिविल सर्जन, गोड्डा के पत्रांक–243, दिनांक–04.02.2023 के द्वारा प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोड्डा एवं विभागीय पत्रांक–262(5), दिनांक–15.03.2023 द्वारा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची से अनुरोध किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–5/पी0 वि0स0 (ता0)–09/2023– 271(5) स्वा, राँची, दिनांक: 16.03.2023

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 368 वि0स0, राँची, दिनांक–24.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Akay 16.03.2023

अवर सचिव

ज्ञापांक:–5/पी0 वि0स0 (ता0)–09/2023– 271(5) स्वा, राँची, दिनांक: 16.03.2023

प्रतिलिपि: अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Akay 16.03.2023

अवर सचिव

(481)

श्री मंगल कालिन्दी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–38 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री मंगल कालिन्दी, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत जमशेदपुर प्रखण्ड में स्थित सरकारी भूमि असमाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर बेची जा रही है;	स्वीकारात्मक। पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर अंचल अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना पाये जाने पर समय–समय पर अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध वाद दायर कर सरकारी भूमि अतिक्रमणमुक्त करने की कार्रवाई की जाती है। सरकारी भूमि बेचने के मामले में सुसंगत धाराओं के तहत् बेचने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है एवं खाली पड़े सरकारी भूमि के रक्षार्थ हेतु काफी संख्या में सरकारी बोर्ड भी लगाया गया है। जमशेदपुर अंचल अन्तर्गत टाटा लीज क्षेत्र एवं गैर टाटा लीज क्षेत्र में दायर अतिक्रमण वादों की संख्या वर्षवार निम्नवत है:–
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जमशेदपुर प्रखण्ड में अतिक्रमित लोक भूमि खण्डों पर अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 1 में उत्तरित है।

वर्ष	टाटा लीज	गैर टाटा लीज क्षेत्र	कुल संख्या
2021–22	37	89	126
2022–23	164	106	270

विगत दो वर्षों में जमशेदपुर अंचल में कुल–19 अतिक्रमण मामलों में 03.93 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–04/वि0स0 (तारां.)– 17/2023 992 /रा0 राँची, दिनांक– 14-03-2023

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–608/वि0स0, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/23

सरकार के अवर सचिव।

श्री संजीव सरदार, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–51 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री संजीव सरदार, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल में अनु0ज0जा0 मूलवासी रैयत के जमीन को उद्योग के लिए हस्तान्तरित की गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल में उद्योग हेतु हस्तान्तरित जमीन पर उद्योग स्थापित की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पूर्वी सिंहभूम एवं प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत कतिपय हस्तांतरित भूमि पर औद्योगिक ईकाई संचालित है एवं कतिपय भूमि पर वर्तमान में औद्योगिक ईकाई की स्थापना नहीं हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोल्हान प्रमण्डल में जिन–अनु0ज0जा0 मूलवासी की जमीन जिस पर उद्योग स्थापित नहीं किया गया है, रैयत को वापस करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रावधानानुसार ससमय उद्योग स्थापित नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने/संज्ञान में आने पर CNT Act, 1908 की धारा 49(5) के तहत् भू–वापसी किये जाने का प्रावधान है। साथ ही भूमि हस्तांतरण हेतु वाद में निहित शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में भूमि हस्तांतरण की अनुमति रद्द करने की कार्रवाई की जाती है अथवा भूमि हस्तांतरण की अनुमति स्वतः निरस्त समझी जाती है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02बी0/भू0अ0नि0 (वि0स0) तारां0–21/2023..214/रा0 राँची, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–857, दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड राँची/विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23
सरकार के अवर सचिव।

F:\Naina\sec 8B\vidhan sabha *(Vikrant)*

(483)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–विधि–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य विधि आयोग का गठन 14 नवम्बर, 2002 को हुआ है;	:–	स्वीकारात्मक है। झारखंड राज्य विधि आयोग का गठन विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–2618/जे0, दिनांक–14.11.2002 द्वारा किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 से अब तक झारखंड राज्य विधि आयोग में अध्यक्ष एवं सचिव का पद रिक्त है;	:–	स्वीकारात्मक है। वर्त्तमान में झारखंड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के निमित्त उच्च स्तरीय निर्णय लिये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखंड राज्य विधि आयोग में अध्यक्ष एवं सचिव का मनोनयन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	कंडिका–2 के उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–16/2023–574/जे0 राँची, दिनांक–14 मार्च, 2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–978/वि0स0, दिनांक–05.03.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

14/03/2023

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

(484)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अंचल में वर्ष 2020–21 के म्यूटेशन केश संख्या–968, 969, 970, 971, 973 सहित सैकड़ों की संख्या में म्यूटेशन अंचलाधिकारी, हुसैनाबाद के द्वारा किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित म्यूटेशन केश संख्या–968, 969, 970, 971, 972 एवं 973 सभी का वित्तीय वर्ष 2020–21 है, में सी0एन0टी0 एक्ट का घोर उल्लंघन किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू का पत्रांक–552, दिनांक–14.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सभी नामान्तरण वाद संख्या–968, 969, 969, 970, 971, 972 एवं 973 सभी का वित्तीय वर्ष 2020–21 है। इन सभी नामान्तरण वादों से संबंधित भूमि विक्रेता का नाम मोहम्मद अलीम है। विक्रेता ने निबंधित केवाला में अपनी जाति के स्थान पर कुरैशी लिखा है। उल्लेखनीय है कि सी0एन0टी0 एक्ट के तहत अच्छांदित जातियों में कुरैशी नाम से कोई जाति अंकित नहीं है। अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद के पत्रांक–220, दिनांक–13.03.2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता का जाति कसाई है जो सी0एन0टी0 एक्ट में अच्छांदित जातियों के तहत आता है। इस प्रकार विक्रेता के द्वारा भूमि बिक्री के समय केवाला में अपनी वास्ताविक जाति का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इस क्रम में उपायुक्त, पलामू द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अचंल अधिकारी, हुसैनाबाद के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख की छायाप्रति का अवलोकन किया। इन सभी नामान्तरण वादों में राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि क्रेता द्वारा खरीद की गयी भूमि का मांग विक्रेता स्वयं के नाम से चलता है। आवेदित भूमि भू–हदबंदी, भूदान, बासगीत, सर्व साधारण सार्वजनिक उपयोग वन सीमा तथा सी0एन0टी0 एक्ट से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि पर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अतः नामान्तरण हेतु इस आवेदन की स्वीकृति दी जा सकती है। "अंचल निरीक्षक ने अपने मंतव्य में लिखा है कि राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन का जांच किया सही पाया। राजस्व उप निरीक्षक का वांछित प्रवितेदन संलग्न है, जांचोपरांत प्रस्तावित भूमि का नामान्तरण की स्वीकृति दी जा सकती है। इन दोनो के प्रतिवेदिन के आधार पर अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा नामान्तरण की स्वीकृति दी गई है।" "राजस्व उप निरीक्षक ने प्रश्नगत भूमि को सी0एन0टी0 एक्ट से मुक्त बताया है जो कि सही नहीं है, क्योकि विक्रेता

		की जाति सी0एन0टी0 एक्ट के तहत अच्छांदित है। अंचल निरीक्षक ने भी राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन को सही पाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अंचल निरीक्षक के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन को सही तरिके से जांच नहीं की गई है।'' इस प्रकार राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के द्वारा केवाला में दर्ज कराये गये जाति के आधार पर ही अनुशंसा किया गया, जबकि नामांतरण के पूर्व भूमि की स्थलीय जांच के दौरान विक्रेता एवं क्रेता के संबंध में सी0एन0टी0 एक्ट को ध्यान में रखते हुए जाति की जांच भी करनी चाहिए थी। उक्त के संबंध में अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक से अपर समाहर्त्ता, पलामू के पत्रांक–551/रा0, दिनांक–14.03.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है एवं उक्त नामांतरण वाद को रद्द करने से संबंधित अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, हुसैनाबाद को भेजने का निदेश दिया गया।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 में दर्जनों की संख्या में ऐसे म्यूटेशन किए गए है, जिसमें सी0एन0टी0 एक्ट का घोर उल्लंघन हुआ है ;	**अस्वीकारात्मक।** ऐसे मामले संज्ञान में नही आया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अंचलाधिकारी द्वारा वर्ष–2021–21 2021–22 तथा 2022–23 में किए गए म्यूटेशन एवं सी0एन0टी0 एक्ट में बरती गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0 पलामू (तारां0)–72/2023 1043 **/रा0, दिनांक–** 16-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–205/वि0स0, दिनांक–22.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

(485)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–30 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला अंचल स्थित गालूडीह रंकिणी मंदिर के समीप वर्त्तमान राष्ट्रीय उच्च पथ–18 पर कृषि भूमि का एक बड़ा भू–खण्ड पर JK Panda Ecocity के नाम पर व्यवसायिक/आवासीय निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है,	स्वीकारात्मक। वर्णित भूमि का सचिव, जिला परिषद्, पूर्वी सिंहभूम के द्वारा **"For Approval Of Land Development Permit Form VIII(B)"** में आवासीय कार्य हेतु अनुमति जारी की गई है, जिसमें Plan नक्सा **Approved** है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित भूमि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र अन्तर्गत है जिसमें किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि के पूर्व ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है तथा उक्त भूमि के स्वरूप में सक्षम प्राधिकार द्वारा परिवर्तन की अनुमति लिए बिना व्यवसायिक/आवासीय भू–खण्ड का निर्माण करना विधि सम्मत नही है,	अस्वीकारात्मक। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के पूर्व ग्रामसभा का अनुमोदन लेना आवश्यक है, परन्तु, यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी रैयती भूमि में व्यवसायिक अथवा आवासीय क्रियाकलाप करते हैं तो इसके लिए ग्रामसभा का अनुमोदन लेने का उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में भूमि का स्वरूप परिवर्तन का प्रावधान नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित मामले की जॉच कराते हुए दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ–साथ उक्त कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0 पूर्वी सिंहभूम (तारा0)–80/2023 1067 /रा0, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–605/वि0स0, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(486)

श्री दीपक बिरूवा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स– 31 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के कुल पद 219 है, जिसमें मात्र 79 चिकित्सक ही कार्यरत है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चिकित्सा पदाधिकारी के कुल 219 स्वीकृत पद के विरूद्ध झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के 80 चिकित्सक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 10 चिकित्सक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल, चाईबासा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की घोर कमी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विषेशज्ञ एवं पैथोलॉजिस्ट से संबंधित स्वास्थ्य सेवा जिले में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा सदर अस्पताल, चाईबासा में उपलब्ध करायी जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 836 पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर सदर अस्पताल, चाईबासा में चिकित्सकों के पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवा मूलभूत एवं चिकित्सकों की कमी के कारण ग्रामीणों को समुचित ईलाज नहीं मिल पा रहा है;	पश्चिमी सिंहभूम जिले में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा आमजनों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सदर अस्पताल सहित जिले के अन्य अस्पताल व सी0एच0सी0 में चिकित्सकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–13/2023 252 (3) राँची, दिनांक: 15-3-2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 758/वि0स0 दिनांक 01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.2023

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–13/2023 252 (3) राँची, दिनांक: 15-3-2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.2023

सरकार के अपर सचिव

487

झारखण्ड विधानसभा में श्री सुदिव्य कुमार , माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 21 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा राज्य के अंदर कुल 49 स्थानों पर ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना एवं संचालन हेतु रूट चार्ट प्लॉटिंग करायी गई है। इनमें से गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–19 में अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगोदर, गिरिडीह के भवन के लेबल–1 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–114(A) में अवस्थित सदर अस्पताल, गिरिडीह में ट्रामा सेन्टर प्रस्तावित है,	स्वीकारात्मक। अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड द्वारा Root Chart की Plotting करते हुए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ट्रामा सेन्टर की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में 48 स्थान चिन्हित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त रिम्स, रांची भी ट्रामा सेन्टर हेतु चिन्हित है। गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–19 में अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगोदर, गिरिडीह में ट्रॉमा सेंटर संचालित है। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, गिरिडीह में ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चयनित स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	सम्प्रति राज्य के 7 जिलों में 9 स्थानों पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ट्रामा सेन्टर कार्यशील हैं जहां दुर्घटना में घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। राज्य के 21 जिलों के विभिन्न राष्ट्रीय/राजकीय राजमार्गों में अवस्थित 24 ट्रॉमा सेन्टर को Service Provider के माध्यम से संचालित कराने हेतु निविदा के माध्यम से अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही रिम्स, रांची स्थित ट्रामा सेन्टर को भी Level-I स्तरीय ट्रामा सेन्टर बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा प्रश्न (तारांकित)–02/2023/49(08) राँची, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–597 वि0 स0 दिनांक–27.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

16/03/23

(विद्यानन्द शर्मा पंकज)
सरकार के संयुक्त सचिव

(488)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–21 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के सभी 7 अंचलों में पिछले साल सर्वे में हुई त्रुटियों के कारण भू–स्वामियों को हो रही कठिनाईयों को देखते हुए लातेहार जिला के अंतिम प्रकाशित सभी अंचलों के राजस्व ग्रामों का पुनः भू–सर्वेक्षण कराने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–438, दिनांक–31.10.2019 द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसका अनुपालन आज तक शुरू नहीं हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं0–438, दिनांक–31.10.2019 के आलोक में बंदोबस्त कार्यालय, पलामू अंतर्गत बाह्यस्त्रोत से कर्मियों की आपूर्ति करते हुए लातेहार जिला में रि–सर्वे कार्य हेतु विभाग द्वारा बाह्यस्त्रोत के माध्यम से 72 मुन्शरीम एवं 10 प्रारूपक की सेवा प्राप्त करने की अनुमति बंदोबस्त कार्यालय, पलामू को दी गई है। सरकार द्वारा चयनित संस्था Shiva Protection Force Pvt. Ltd. के द्वारा वर्त्तमान में 10 मुन्शरीम एवं 05 प्रारूपक की सूची बंदोबस्त कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराई गई है, जिनका प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदोबस्त कार्यालय, पलामू द्वारा निर्धारित कर दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विभागीय अधिसूचना का अनुपालन नहीं होने से पूरे लातेहार जिला में भू–स्वामियों में आपसी तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, स्थानीय व्यवहार न्यायालय में लगभग 10 से 12 हजार मामले सिर्फ जमीन से संबंधित दर्ज है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लातेहार जिले में पुनः भू–सर्वेक्षण हेतु किये गये अधिसूचना का अनुपालन शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02/भू0अ0प0नि0, वि0स0 (तारां0)–12/2023.....115.....राँची, दिनांक–14-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–365/वि0स0, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-3-23
सरकार के अवर सचिव।

(489)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के केरेडारी अंचल अंतर्गत मौजा–जोरदाग के खाता नं0–190, प्लॉट नं0–562, रकबा करीब 1 एकड़ भूमि का रसीद काफी वर्षों पूर्व से कटता आ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ भूमि है, जो राज्यादेश संख्या–6/स0भू0 (एनटीपीसी) हजा0–52/11 द्वारा एनटीपीसी चट्टी बरियातु कोयला खनन परियोजना को हस्तांतरित है।
2	क्या यह बात सही है कि कंडिका–1 में वर्णित भूमि के स्वामी श्री सुरेश भुइंया का उक्त भूमि में निर्मित्त घर को एनटीपीसी चट्टी बरियातु कोल खनन परियोजना एवं उसके अधीनस्थ कार्य कर रहे कई कंपनियों के द्वारा बलपूर्वक तोड़कर रैयती जमीन को ट्रांसपोर्टिंग सड़क में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका पुरजोर विरोध भू–स्वामी एवं ग्रामीण कर रहे हैं ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कंपनी के निरंकुश नीतियों के खिलाफ अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर केरेडारी थाने में करीब 200 ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमें कंपनी प्रबंधन की ओर से दायर की गई है तथा ग्रामीणों को रात के अंधेरे में घरों से उठाकर जेल भेज दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रैयती जमीन पर बने घर को तोड़ने व बलपूर्वक ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर विराम लगाते हुए एनटीपीसी चट्टी बरियातु एवं उसके अधीनस्थ कार्य कर रहे अन्य कंपनियों पर कार्रवाई करने तक ग्रामीणों पर किए फर्जी मुकदमें वापस लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–6/ वि0स0 हजारीबाग (तारां0)–78/2023...1041.....(5)/रा0 राँची, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–604/वि0स0, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2023
सरकार के अवर सचिव।

490

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–42 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला स्थित सदर अस्पताल में सैकड़ो मरीज इलाज हेतु जिला एवं आस–पास के क्षेत्र से प्रतिदिन आते हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल भवन का निर्माण लगभग–10–12 साल पहले हुआ था;	स्वीकारात्मक। सदर अस्पताल देवघर का निर्माण कार्य जिला परिषद्, देवघर के द्वारा वर्ष 2013 में सम्पत्र कराया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल के एक्सरे कमरा एवं दवा गोदाम में छत चुता है और पूरा कमरा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण एक्सरे मशीन एवं दवा को दूसरे कमरे में स्थानान्तरित किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त कमरा एवं भवन का मरम्मति एवं रंग–रोगन कराने का विचार रखती है, साथ ही संवेदक पर उचित कार्रवाई करने हेतु विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सिविल सर्जन, देवघर के पत्रांक–534,एवं दिनांक–11.03.2023 एवं विभागीय पत्रांक–260(5) दिनांक–15.03.2023 के द्वारा सदर अस्पताल देवघर के एक्सरे कक्ष एवं दवा गोदाम आदि में रिसाव हो रहे स्थलों का निरीक्षण करते हुए मरम्मति एवं रंग–रोगन हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, देवघर से प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–18/2023– 269(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 1086 वि0स0, राँची, दिनांक–09.03.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2023
अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–18/2023– 269(5) स्वा, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2023
अवर सचिव

(491)

श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–46 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में फ्लैट कल्चर का तेजी से विकास हो रहा है एवं लगभग सभी शहरों में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हो रही है ;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि विल्डर फ्लैट के निर्माण हेतु थोड़ी निजी जमीन के कागजात दिखाकर मिली भगत से बड़ी गैरमजरूआ भू–भाग की स्वीकृति लेकर उसपर अपार्टमेंट का निर्माण कर सरकारी जमीन की लूट कर रहे है ;	अस्वीकारात्मक इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।
3	क्या यह बात सही है कि अधिकारियों, भूमाफियाओं एवं बिल्डरों के गठजोड़ से गैरमजरूआ के साथ–साथ आदिवासियों एवं गरीबों के जमीन की लूट का मामलों भी बड़े पैमानों पर सामने आया है ;	अस्वीकारात्मक
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध ढंग से निर्मित अपार्टमेंट/बहुमंजिली इमारतों को चिन्हित कर उसपर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गैरमजरूआ भूमि पर अतिक्रमण संबंधी मामला संज्ञान में आने पर झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित 14 नवम्बर 2000 तक) के तहत् नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–04/वि0स0 (तारां0)–18/2023..991/...(04)/रा0, राँची, दिनांक– 14-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–698/वि0स0, दिनांक–28.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/23
सरकार के अवर सचिव।

(492)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–41 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स.वि.स.		माननीया प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में गैर मजुरआ भूमि पर स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है;		अस्वीकारात्मक। गैर–मजरूआ आम भूमि पर स्थानीय लोगों (The community) को अधिकार दिया गया हैं। साथ ही सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों को विभागीय संकल्प संख्या–6144, दिनांक–21.12.2017 के आलोक में आवास हेतु 12.5 डी0 एवं कृषि कार्य हेतु 5.0 एकड़ गैर–मजरूआ भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान है तथा विभागीय संकल्प सं.–817/रा., दिनांक–22.02.2018 द्वारा गैर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी भूमि पर जो दिनांक–01.01.1985 से पूर्व घर बनाकर रह रहे हैं वैसे लोगों के साथ अधिकतम 10 डिसमील तक आवासीय उद्देश्य हेतु लीज बंदोबस्ती किये जाने का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के गैर–मजुरआ भूमि पर सरकार के हस्तक्षेप के कारण स्थानीय लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;		अस्वीकारात्मक। साधारणतः गैर– मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती किसी व्यक्ति विशेष को नहीं की जाती हैं। लोक हित में ग्राम सभा की सहमति प्राप्त कर लोक कल्याणकारी विकासात्मक परियोजना हेतु गैरमजरूआ आम भूमि का हस्तांतरण किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हस्तक्षेप करते हुए गैरमजुरआ भूमि पर ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार देने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका– 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/स.भू. वि.स.(तारां.)–20/2023.....1016.....(4)/रा., राँची, दिनांक–15.03.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–705/वि.स., दिनांक– 28.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)/प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(493)

497
10/03/23

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्रनि0–06 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि बोकारों जिला के गामिया विधानसभा अन्तर्गत तेनुघाट और कसमार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कसमार एवं तेनुघाट का उदघाटन अभी तक नहीं होने से शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा उग्रवाद प्रभावित इलाका के हजारों छात्र एवं छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तेनुघाट एवं कसमार का उदघाटन करते हुए शीघ्र शैक्षणिक सत्र चालू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कसमार में सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजनान्तर्गत, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा लघु अवधि कोर्स चलाया जा रहा था। वर्तमान में इस संस्थान को खाली करने हेतु पत्रांक'–734, दिनांक–23.06.2022 के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन NCVT/SCVT के माध्यम से करने हेतु नये RFQ (Request for Qualification) के तहत PPP के अन्तर्गत आवंटित करने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त जिला एवं विधानसभा अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेनुघाट बेरमों बोकारो को TSP (Training Service Provider) Vinayaka Fundamental Research and Education Socity, Pahari Mandir, Ranchi, Jharkhand द्वारा चलाने हतु आवंटित है। NCVT से मान्यता हेतु NIMI Portal पर आवेदन किया गया है।

10/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-20-2023 T.docx

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–24 / 2023श्र0नि0–497 राँची, दिनांक– 10/03/23

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का पत्र सं0–588 / वि0स0, दिनांक– 27.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

494

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–36 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

1	क्या यह बात सही है कि तमाड़ प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तमाड़ के परिसदन में वर्ष 2010 के करीब अस्पताल के अन्य भवन बनाये जा रहे थे जिनमें डॉक्टर रूम, स्टाफ रूम इत्यादि सम्मिलित था जो अब तक अधूरा हैं ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बुंडू प्रखंड के हुमटा में करीबन 4 वर्ष पूर्व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहा था जिसे अब तक बना कर विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है और वर्त्तमान में मजबूरन स्वास्थ्य सेवा का कार्य वहाँ के आंगनबाड़ी भवन में किया जा रहा हैं ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तमाड़ प्रखण्ड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अस्पताल परिसर में डॉक्टर एवं स्टाफ आवास के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निमित्त विभागीय पत्रांक–264(5) दिनांक–15.03.2023 द्वारा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम, राँची से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन की माँग की गई है। प्राक्कलन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बुण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत हुमटा हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के हैंडओवर के लिए विभागीय पत्रांक– 265(5) दिनांक–15.03.2023 द्वारा जिला अभियंता, जिला परिसद, राँची से अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–15/2023– 270(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 909 वि0स0, राँची, दिनांक–02.03.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2023
अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–15/2023– 270(5) स्वा, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2023
अवर सचिव

495

528
15/03/2023

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –श्र0नि0–03 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्री उमाशंकर अकेला,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड में रियडा के आवंटित जमीन पर (7) स्टील फैक्ट्री तथा HPCL जैसे फैक्ट्री लगाया गया है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड में रियाडा के आवंटित जमीन पर 6 (छः) स्टील फैक्ट्री है, जिसका निबंधन करा लिया गया है। सातवाँ फैक्ट्री RSJ POLYPAST PVT. LTD. निर्माणाधीन है साथ ही HPCL जैसी फैक्ट्री लगायी जा रही है, जो PSU है।
2	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि 75% प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखना है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली 2022 अधिसूचित की गई है। अधिनियम के कंडिका–4(i) के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ के बाद प्रत्येक नियोक्ता रू0–40,000/–(चालीस हजार रूपये) से अनधिक या सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले ऐसे पदों, जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हों एवं उनके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सभी फैक्ट्री में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपरोक्त दोनों कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

15/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–09/2023श्र0नि0–528 राँची, दिनांक– 15/03/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–217, दिनांक–22.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

496

518
13/03/2023

श्री कोचे मुण्डा, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्रनि0–08 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री कोचे मुण्डा, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि खूँटी जिले में पुरूष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी में अवस्थित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। खूँटी जिले के अन्तर्गत तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जो निम्नरूपेण है:– 1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी। 2. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी। 3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्रा (खूँटी)। निर्मित भवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी में केन्द्रीय विद्यालय संचालित था। उक्त विद्यालय द्वारा दिनांक–21.12.2022 को भवन खाली कर विभाग को हस्तगत किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी TSP/PPP (Training Service Provide/Public Private Partnership) अन्तर्गत संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्रा (खूँटी) राज्य सरकार के अन्तर्गत संचालित है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्रा (खूँटी) में पुरूष, महिला एवं अन्य प्रशिक्षण पा रहे है।
2	क्या यह बात सही है, कि इलेक्ट्रीकल ट्रेड हेतु शैक्षणिक सत्र 2021–23 में कुल 17 छात्र एवं सत्र 2022–24 हेतु 18 छात्रों का नामांकन किया जा चुका है;	स्वीकारात्मक। खूँटी जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्रा, (खूँटी) में इलेक्ट्रीकल ट्रेड हेतु शैक्षणिक सत्र 2021–23 में कुल 17 एवं सत्र 2022–24 में 20 प्रशिक्षणार्थी नामांकित है।
3	क्या यह बात सही है, कि इस संस्थान में शिक्षकों के पदस्थापना नहीं होने के कारण सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षा नहीं हो पा रहा है, जबकि सत्र– 2021–23 के लिए अंतिम वर्ष का परीक्षा का समय नजदीक आ चुका है और शैक्षणिक सत्र समाप्ति की ओर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सत्र 2021–23 के छात्रों को प्रशिक्षण हेतु निदेशालय आदेश सं0–99 दिनांक–20.01.2023 के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राँची से सप्ताह में तीन दिन सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षा हेतु अनुदेशको को प्रतिनियुक्त की गयी है। उक्त के अतिरिक्त ऑनलाईन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्र हित में शिक्षकों का पदस्थापन कर छात्रों को सुचारू रूप से शिक्षा प्रदान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचना के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा नियुक्त हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसका विज्ञापन संख्या–17/2022 एवं 18/2022 था WP (S) No 3894/2021 रमेश हंसदा बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची से पारित न्यायादेश के आलोक में आयोग द्वारा विज्ञापन रद्द कर दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवाशर्ते) नियमावली 2021 में संशोधन की जा रही है, तत्पश्चात झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

13/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-24-2023 T.docx

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–24 / 2023श्र0नि0– 518 राँची, दिनांक– 13/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का पत्र सं0–911 / वि0स0, दिनांक– 02.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या सं––03 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत बंशीधर नगर ऊँटारी अनुमण्डलीय अस्पताल का निर्माण कार्य अधूरा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अस्पताल के अधूरे होने से कई लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसमें लोगों को छोटी–बड़ी बीमारी, घटना, दुर्घटना में ईलाज कराने सदर अस्पताल, गढ़वा जाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। बंशीधर नगर ऊँटारी मुख्यालय में अनुमंडलीय अस्पताल, पूर्व रेफरल अस्पताल के भवन में क्रियाशील है। अनुमंडलीय अस्पताल, नगर ऊँटारी के द्वारा मरीजों को ईलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अधूरे पड़े अनुमण्डलीय निर्माण कार्य को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गढ़वा जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल बंशीधर नगर ऊँटारी के भवन निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए निगरानी थाना कांड सं0–24/11, दिनांक–19.09.2011 दर्ज है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–200(5), दिनांक–24.02.2023 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची से निगरानी थाना कांड सं0 की अद्यतन स्थिति एवं अधूरे भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र की माँग की गई है। अनापति पत्र प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–04/2023–237(5) स्वा, राँची, दिनांकः 10.03.2023.

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 160 वि0स0, राँची, दिनांक–21.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

10.03.2023
अवर सचिव।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–04/2023–237(5) स्वा, राँची, दिनांकः 10.03.2023.

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

10.03.2023
अवर सचिव।

(498)

पत्रांक–13 / नि0विधानसभा–01 / 2023.....100/नि०.....

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–रा–22 का उत्तर।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0	**माननीय मंत्री श्री हफिजूल हसन, निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 2, 5, 10 तथा 20 रूपये का स्टाम्प विगत कई वर्षों से उपलब्ध नहीं है, जिससे न्यायिक कार्य हेतु जनता को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। जिला कोषागार पदाधिकारी, रांची के पत्रांक–598, दिनांक–28.02.2023 के अनुसार केन्द्रीय मुद्रांक भण्डार, रांची में 2, 5, 10 तथा 20 रूपये का न्यायिक मुद्रांकों का स्टॉक निम्नवत् है:– न्यायिक मुद्रांक का अधिमान | उपलब्धता शीट में | मुद्रांकों का कुल मूल्य Rs. 2/- | 248475 | 4,45,53,000/– Rs. 5/- | 273825 | 8,84,26,000/– Rs. 10/- | 800 | 5,76,000/– Rs. 20/- | 1200 | 17,44,000/– कुल | 524300 | 13,52,99,000/– जनसाधारण को न्यायिक मुद्रांकों की अबाध रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोषागार द्वारा निर्गत न्यायिक मुद्रांक के अतिरिक्त विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या–224, दिनांक–18.05.2020 के द्वारा **Stock Holding Corporation of India limited** के माध्यम से **https://www.shcilestamp.com/estamp** द्वारा कोर्ट फी के ई०–स्टाम्पिंग का भी प्रावधान किया गया है तथा यह व्यवस्था राज्य के समस्त जिलों में सुचारू रूप से कार्यरत है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी स्थान से ऑन–लाईन ई०–स्टाम्प प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में विभाग द्वारा दिनांक–02.03.2023 को राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भी इस आशय की सूचना प्रकाशित कराई गयी है। प्रकाशित सूचना की प्रति संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में न्यायिक मुद्रांकों की कोई कमी नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार न्यायिक कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु 2, 5, 10 तथा 20 रूपये का स्टाम्प उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपायुक्तों से अधियाचना प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संबंधित जिलों को मुद्रित न्यायिक मुद्रांकों का आवंटन दिया जाता है। इसके अलावे ऑन–लाईन के माध्यम से भी न्यायिक मुद्रांकों की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यायिक मुद्रांकों का मुद्रण नासिक रोड़ तथा हैदराबाद स्थित मुद्राणालयों से किया जाता है।

ज्ञापांक–13 / नि0विधानसभा–01 / 2023.....100/नि..... राँची, दिनांक–.....06/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–619 दिनांक–27.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

6/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(499)

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के गिरिडीह जिलान्तर्गत पीरटांड़ अंचल में स्थित मधुबन एवं पारसनाथ में विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों के द्वारा वन विभाग एवं स्थानीय अंचल कार्यालय के विभिन्न कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से 500 एकड़ से ज्यादा वनभूमि एवं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया है, जिससे राज्य सरकार के अरबों रूपये की राजस्व की क्षति हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पीरटांड़ अंचल में स्थित मधुबन एवं पारसनाथ में अवैध जमाबंदी से संबंधित कुछ मामले प्रकाश में आए हैं, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबन एवं पारसनाथ में हुए अवैध निर्माण, अवैध जमाबंदी एवं वनभूमि तथा सरकारी भूमि में हुए व्यापक अतिक्रमण की जाँच उच्च स्तरीय कराते हुए उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित् करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5 / स0भू0 वि0स0 गिरिडीह (तारां0)–36 / 2023..1038.....(5) / रा0 राँची, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–616 / वि0स0, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.2023

सरकार के अवर सचिव।

500

श्री निरल पुरती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0-22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है रिम्स में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्ग के कर्मियों का OPS (ओल्ड पेंशन योजना) लागू नहीं की गई है:	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रिम्स अधिनियम-2002 की धारा-25 एवं 2014 के कंडिका-24 के अनुसार रिम्स शासी परिषद् सक्षम प्राधिकार है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शासी परिषद् द्वारा रिम्स में कार्यरत कर्मियों का OPS (ओल्ड पेंशन योजना) लागू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों।	वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श एवं विभागीय पत्रांक-23(11) दिनांक-27.01.2023 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के आलोक में रिम्स, में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को OPS (ओल्ड पेंशन योजना) लागू करने संबंधी प्रस्ताव रिम्स के शासी परिषद की आगामी 55वीं बैठक के एजेंडा के रूप में निर्णय हेतु शामिल किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-11/रिम्स (वि0स0)-05-02/2023-72 (11) दिनांक- 14/03/2023

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-593 वि0स0 दिनांक-27.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव।

501

531
16/03/2023

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–05 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के तहत् 12 सितम्बर 2022 को गजट प्रकाशन तिथि से नियोजन में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को लाभान्वित करने का प्रावधान है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली 2022 अधिसूचित की गई है। अधिनियम के कंडिका–4(i) के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ के बाद प्रत्येक नियोक्ता रूपये–40,000/–(चालीस हजार रूपये) से अनधिक या सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले ऐसे पदों, जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हों एवं उनके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्तियों का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा।
2	क्या यह बात सही है, कि सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि झारखण्ड के निजी क्षेत्रों के विविध पदों पर कार्यरत कुल कर्मियों में कितने स्थानीय कर्मी कार्यरत है;	झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली की कंडिका–4 (ii) में वर्णित प्रावधान के आलोक में विद्यमान मानवबल, नियोजित स्थानीय उम्मीदवारों की संख्या के सभी विवरणों को प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिनियम के अनुसार यदि मानवबल में कमी हो, तो प्राधिकृत अधिकारी को नियम के प्रारम्भ की तिथि से तीस दिनों के अंदर संलग्न प्रपत्र– II के विहित प्रपत्र में न्यूनतम 75% स्थानीय नियोजन के मानदण्ड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्ययोजना जो इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्षों से अधिक न हो, की समय सीमा के साथ प्रस्तुत करेगा। झारखण्ड के निजी क्षेत्रों के विविध पदों पर कार्यरत कुल कर्मियों में स्थानीय कर्मियों की संख्या की सूचना का संग्रहण क्षेत्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु एक पोर्टल विकसित किया जा चुका है। जिस पर सभी निजी क्षेत्र के कंपनियों को निबंधित होना है और अपने कंपनी में कार्यरत कर्मियों की सूचना भी देनी है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलाने कि कृपा करेगी कि अबतक इस अधिनियम के तहत् झारखंड के विभिन्न जिलों में कुल कितने स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन प्रदान किया गया है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली 2022 के तहत् विभिन्न जिलों में कुल–2320 (दो हजार तीन सौ बीस) उम्मीदवारों को नियोजन हेतु चयनित किया गया है।

16/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–14 / 2023श्र0नि0– 531 राँची, दिनांक– 16/03/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–363, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

502

श्री सुदेश कुमार महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–स–41 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (झारखण्ड) के अधीन लगभग 1743 MPW (M) स्वास्थ्य कर्मी संविदा पर कार्यरत है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में विभाग के अधीन कुल 1607 MPW (M) संविदा पर कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–01.08.2014 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवाही की कंडिका 03 में संविदा पर कार्यरत MPW (M) के स्थायी समायोजन हेतु संलेख तैयार कर मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थित करने का निर्णय लिया गया था ;	स्वीकारात्मक। भारत सरकार द्वारा MPW का पद समाप्त कर दिया गया था एवं इन कर्मियों का अनुबंध माह सितम्बर 2014 में समाप्त हो रहा था। इसलिए इन कर्मियों के समायोजन के संबंध में संलेख मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित किये जाने का निर्णय दिनांक–01.08.2014 को आयोजित बैठक में लिया गया था।
3.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–01.10.2019 को निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवा) द्वारा MPW (M) के स्थायी समायोजन के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विभाग के समक्ष उपस्थित किया गया था ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संविदा पर कार्यरत MPW(M) के स्थायी समायोजन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तत्काल ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–15/ (वि0स0)–07–10/2023....87(15) दिनांकः– 16-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञापांक–1084 वि0स0 दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2023.

सरकार के अवर सचिव।

503

श्री (डॉ0) सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सख्या स– 17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य की राजधानी रॉची में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी वार्डो में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की योजना है;	स्वीकारात्मक। 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 15000–20000 की जनसंख्या पर एक अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोले जाने का प्रावधान है, जिसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक चरणबद्व तरीके से किया जाना है। रॉची शहर में वित्तीय वर्ष 2021–22 में 24 एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में 9 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के निर्णय के उपरांत भी राजधानी में एक भी हेल्थ वेलनेस सेंटर नहीं खोले गये है जिसके कारण आम जनता निजी क्लीनिकों में ईलाज कराने को बाध्य है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रॉची नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत 24 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का कार्य प्रक्रियाधीन है। रॉची शहर में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन0यू0एच0एम0) के अन्तर्गत 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 02 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 18 अटल मुहल्ला क्लीनिक क्रियाशील है, जिसके माध्यम से आम जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रॉची के सभी वार्डो में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वास्तविक रूप से क्रियाशील कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नही तो क्यो?	रॉची नगर निगम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत सभी 24 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 31 मार्च 2023 तक क्रियाशील करने की योजना है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/ वि0स0–06–10./2023 73(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 14/03/2023.
प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 601 / वि0स0 रॉची, दिनांक 27.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.23
सरकार के उप सचिव।

504

श्री नमन विक्सल कोनगाडी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सख्या स– 29 उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिला में ए0एन0एम0 (ANM) नर्सो की नियुक्तियाँ कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर की गयी है;	स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत सिमडेगा जिला में ए0एन0एम0 की सेवाएं अनुबंध के आधार पर ली गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ तो कर ली गयी है परन्तु धीरे–धीरे कई नर्सो की सेवा को समाप्त कर रही है और बहुत से नर्सो की आयु जो नौकरी करना चाहती है वैसे नर्सो की आयु कुछ महिनों में समाप्त हो जाएगी;	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त करने हेतु अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष निर्धारित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिमडेगा जिला के इन नर्सो को विभाग द्वारा परीक्षा लेकर इन्हें स्थायी बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके स्वरूप में बदलाव भारत सरकार के परामर्श से संभव है। नियमानुसार स्थायी बहाल किये जाने पर विभाग के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/ वि0स0–06–12./2023 79(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 16/3/2023
प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 761/वि0स0 राँची, दिनांक 01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.23
सरकार के उप सचिव।

505

श्री नवीन जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–25 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या–283(7A) दिनांक 23.07.2011 एवं विभागीय संकल्प संख्या–05(20) दिनांक 08.01.2021 के आलोक में राज्य के स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ–साथ झारखण्ड राज्य के आयुष सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों (आयुर्वेदिक/युनानी/होम्योपैथिक) की सेवानिवृति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढाकर 65 वर्ष कर दी गई है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या–36(9) दिनांक 25.01.2018 के आलोक में झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं संकल्प संख्या–1109, दिनांक 17.08.2022 के आलोक में झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृति की आयु सीमा 65 वर्ष से बढाकर 67 वर्षकर दी गई है, परन्तु झारखण्ड राज्य के आयुष सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों (आयुर्वेदिक/युनानी/होम्योपैथिक) की सेवानिवृति की आयु सीमा 65 वर्ष से बढाकर 67 वर्ष अभी तक नहीं की गई है;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के आयुष सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों (आयुर्वेदिक/युनानी/होम्योपैथिक) की सेवानिवृति की आयु सीमा 65 वर्ष से बढाकर 67 वर्ष करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यों?	आयुष सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों (आयुर्वेदिक/युनानी/होम्योपैथिक) की सेवानिवृति की आयु सीमा 65 वर्ष से बढाकर 67 वर्ष करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 20/आयुष–वि0स0–02/2023 57 (20) स्वा0 राँची, दिनांक– 03.03.2023

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–594 वि0स0, दिनांक 27.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2023

(शिवजी बर्मा)

सरकार के अवर सचिव।

506

श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.03.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-स-30 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड काठीकुण्ड अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगो का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि है उपरोक्त प्रखण्ड के ग्राम-भण्डारो पंचायत-पिपरा में भवन निर्माण विभाग द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनाया गया है जो लगभग तीन वर्षो से बनकर बंद पड़ा है, जिससे लोगों की काफी पेरशानी उठनी पड़ती है ;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंडारों बंद नहीं है एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति व दवाओं, उपकरण आदि की आपूर्ति कर आमलोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	विभाग द्वारा काठीकुंड प्रखंड के भण्डारों पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया है। विभाग द्वारा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों का पद सृजन कर दिया गया है। वर्त्तमान में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिनियुक्त करके पर्याप्त मात्रा में दवाओं के साथ उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही है। स्वीकृत पद के अनुसार मानव बल आपूर्ति हेतु आउटसोर्सिंग कंपनी को आदेश देने की प्रक्रिया की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-15/ (वि0स0)-07-08/2023..81(15) दिनांकः- 10.03.2023

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को उनके ज्ञापांक-760 वि0स0 दिनांक-01.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2023

सरकार के अपर सचिव।

507

श्री सुखराम उरांव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स– 38 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्र के बंदगाँव प्रखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बंदगाँव अतिउग्रवाद प्रभावित एवं अति पिछड़ा क्षेत्र है तथा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों और सभी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंदगांव में चिकित्सा पदाधिकारी के 04 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 04 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 02 अनुबंध चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक के 01 स्वीकृत पद के विरूद्ध 01 दन्त चिकित्सक पदस्थापित है। चिकित्सकों की कमी के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एक–एक चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर एवं सदर अस्पताल, चाईबासा में किया गया है। उपलब्ध चिकित्सकों एवं संसाधनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंदगांव अंतर्गत आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित एवं जनहित में चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उल्लेखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनुभवि चिकित्सकों का पदस्थापन तथा मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–18/2023 264 (3) राँची, दिनांक: 16.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 975/वि0स0 दिनांक 05.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2023

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–18/2023 264 (3) राँची, दिनांक: 16.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2023

सरकार के अवर सचिव

508

529
15/03/2023

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछा जाने वाला तरांकित प्रश्न संख्या – ग0–26 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्री मथुरा प्रसाद महतो,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिलान्तर्गत काली मेला डूंगरी बस्ती निवासी सुभाष कुमार महतो, पिता–फूलचंद महतो का दुबई के शारजाह में प्रवासी मजदूर के रूप में कार्य करने के दौरान दिनांक–05.01.2023 को आकस्मिक निधन हो गया था;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** श्री सुभाष कुमार महतो की मृत्यु दिनांक–05.01.2023 को Cardiogenic Shock के कारण हुई है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि मृतक श्री महतो की मृत्यु सामान्य है।
2	क्या यह बात सही है, कि प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी प्रांत या विदेश में कार्य करने के दौरान निधन होने पर उनके परिजनों को सरकार सहयोग/मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जो उपलब्ध नहीं करायी गयी है;	वस्तुस्थिति यह कि विभागीय अधिसूचना संख्या–1911, दिनांक–30.10.2019 द्वारा प्रवृत्त मुख्यमंत्री झारखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अन्तर्गत विदेश में प्रवास के दौरान असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में ही मृतक को सरकारी मुआवजा/सहयोग राशि दिये जाने का प्रावधान है। स्व0 महतो की मृत्यु सामान्य मृत्यु है फलस्वरूप उपरोक्त विभागीय अधिसूचना की कंडिका–02(Vi) के आलोक में सरकारी मुआवजा/सहयोग राशि अनुमान्य नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्रवासी मजदूर के परिजनों को मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी दने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

15/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–22/2023श्र0नि0– 529 **राँची, दिनांक–** 15/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का पत्र सं0–495/वि0स0, दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–22/2023श्र0नि0– 529 **राँची, दिनांक–** 15/03/2023

प्रतिलिपिः– गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक–1057, दिनांक–28.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

509

495
10/03/23

श्री मंगल कालिन्दी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्रनि0–07 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री मंगल कालिन्दी, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन हेतु झारखण्ड सरकार ने अधिनियम पारित किया है जिसका उद्देश्य झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मदीवारों को नियोजन करना है,	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली 2022 अधिसूचित की गई है। अधिनियम के कंडिका–4(i) के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ के बाद प्रत्येक नियोक्ता रूपये–40,000/–(चालीस हजार रूपये) से अनधिक या सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले ऐसे पदों, जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हों एवं उनके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा।
2	क्या यह बात सही है, कि अभिहित पोर्टल नहीं होने से झारखण्ड के नियोजन कार्यालय द्वारा ऑफ लाईन किया जा रहा है,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम की धारा–2(e) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को पार्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से करना वैद्यानिक कर्त्तव्य है,	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अभिहित पोर्टल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अभिहित पोर्टल के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

10/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–21/2023श्र0नि0– 495 राँची, दिनांक– 10/03/23

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का पत्र सं0–589/वि0स0, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

(570)

श्री अन्नत कुमार ओझा, मा0 स.वि.स. द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0 37 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स.वि.स.		**माननीय मंत्री, श्री हफिजुल हसन, निबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची।**
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय, राजमहल का भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में हो चुकी है, जो कि राजस्व देने वाला साहेबगंज जिला का महत्वपूर्ण अवर निबंधन कार्यालय है,		**आंशिक स्वीकारात्मक।** वित्तीय वर्ष 2017–18 में जीर्णोधार का कार्य किया गया है। पुनः जीर्णोद्धार हेतु जिला स्तर पर प्राक्कलन सक्षम स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 वर्णित कार्यालय में मूलभूत सुविधाएँ यथा–पेयजल शौचालय, बैठने की व्यवस्था इत्यादि का घोर अभाव है, जिससे स्थानीय आमजन को कठिनाई हो रही है,		**आंशिक स्वीकारात्मक।** आमजन हेतु वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं को Upgrade करने हेतु सक्षम स्तर पर प्राक्कलन प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित अवर निबंधन कार्यालय हेतु भवन का अविलम्ब निर्माण कराने तथा आमजन को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		कंडिका–1 एवं 2 में वर्णित कार्य का प्राक्कलन प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–10/विधान सभा (तारां.)–05/2023 1040/रा., राँची, दिनांक–16-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 609/वि.स., दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

अधिवक्ता की नियुक्ति ।

*511. श्री सुदिव्य कुमार--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह सहित राज्य के 11 जिलों मे सरकारी अधिवक्ता (Govt. Pleader) के नियुक्ति का कालाविध समाप्त हो चुका है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी अधिवक्ता के नियुक्ति नही होने से सरकार का पक्ष नही रखे जाने के कारण हजारों मामले पेंडिंग है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह सहित कालावधि समाप्त हो चुके सभी जिले में सरकारी अधिवक्ता के नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री -- (1) आंशिक स्वीकारात्मक । The Law officer (Engagement) Rules, 2018 के प्रावधानों के अधीन कुल 15 (पंद्रह) जिलों (बोकारो, चतरा दुमका, कोडरमा, पलामू, सरायकेला-खरसावाँ, रामगढ़, गढ़वा, देवघर, राँची, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), धनबाद, लोहरदगा तथा गिरिडीह) में सरकारी अधिवक्ता (Government Pleader) के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है ।

कुल चार (04) जिलों (लातेहार, गुमला, जामताड़ा एवं सिमडेगा) के सरकारी अधिवक्ता (Government Pleader) के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है ।

शेष पाँच (05) जिलों (खूँटी, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), साहेबगंज तथा पाकुड़) के सरकारी अधिवक्ता (Government Pleader) के पदों पर नियुक्ति हेतु The Law officer (Engagement) Rules, 2018 के प्रावधानों के अधीन सर्च कमिटि की अनुशंसा अप्राप्त है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(3) उपरोक्त कंडिकाओं यथा कंडिका-(1) एवं (2) के उत्तर प्रतिवेदन में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

---

(512)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–43 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला स्थित सदर अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज ईलाज हेतु अस्पताल आते हैं ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इस अस्पताल में पड़ोसी राज्य बिहार से भी मरीज ईलाज हेतु आते हैं ;	स्वीकारात्मक। बिहार राज्य के बांका एवं जमुई जिले के मरीज रेफर होकर ईलाज हेतु आते हैं।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन, ऑटो इनरलाइजर, C-ARM मशीन CBC Counter मशीन, डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन प्रिंटर के साथ, कलर डोप्लर प्रिंटर के साथ हाईड्रोलिक स्ट्रेचर ट्रॉली के अभाव में मरीजों को निजी अस्पताल जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, देवघर में पी0पी0पी0 मोड पर सरकारी दर पर डिजिटल अल्ट्रासाउन्ड एवं एक्सरे के साथ सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मरीजों को ध्यान में रखते हुए उक्त मशीनों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सदर अस्पताल, देवघर में पी0पी0पी0 मोड पर सरकारी दर पर डिजिटल अल्ट्रासाउन्ड एवं एक्सरे के साथ सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–20/2023– 268(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 1085 वि0स0, राँची, दिनांक–09.03.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2023
अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–20/2023– 268(5) स्वा, राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2023
अवर सचिव

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–26 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

1	क्या यह बात सही है कि निरसा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जयपुर स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर स्वास्थ्य केन्द्र, सालुकचपड़ा, उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं आमबोना उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सालुकचपड़ा, उपस्वास्थ्य केन्द्र का भवन अत्यंत जर्जर हो गया है तथा पानी–बजली की समस्या एवं चाहरदीवारी भी नहीं है तथा झाड़ियों से भरा है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र व उपस्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों उपकरण एवं दवाईयों आदि घोर कमी है, जिससे ग्रामीणों को सही तरीके से ईलाज नहीं हो पाता है;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निरसा में कार्यरत चिकित्सकों से रोस्टर व्यवस्था के तहत संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सीय कार्य का सम्पादन कराया जा रहा है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में दो पारा मेडिकल कर्मी, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, जयपुर में चार पारा मेडिकल कर्मी, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, अम्बोना में दो पारा मेडिकल कर्मी एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालुकचपड़ा में तीन पारा मेडिकल कर्मी पदस्थापित एवं कार्यरत है। उक्त सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवा एवं उपकरण उपलब्ध है तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सालुकचपड़ा स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन, चाहरदीवारी का निर्माण व उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरण, दवाईयों तथा अन्य चिकित्सीय सामग्री को उपलब्ध कराने तथा चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालुकचपड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा में कार्यरत चिकित्सकों से रोस्टर व्यवस्था के तहत एवं पदस्थापित तीन पारा मेडिकल कर्मी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। एवं आवश्यक दवा एवं उपकरण उपलब्ध हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालुकचपड़ा की भवन की मरम्मति एंव चाहरदिवारी के निर्माण हेतु सिविल सर्जन, धनबाद के पत्रांक–483 दिनांक–01.03.2023 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल धनबाद से प्राक्कलन की माँग की गई है। प्राक्कलन प्राप्त कर जीर्णोद्धार हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–12/2023– 238(5) स्वा, राँची, दिनांकः 10.03.2023.

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 603 वि0स0, राँची, दिनांक–27.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.2023
अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–12/2023– 238(5) स्वा, राँची, दिनांकः 10.03.2023.

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

10.03.2023.
अवर सचिव

(514)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सख्या–स–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड राज्य में विगत 2007 से वर्तमान समय तक 42000 सहिया (आशा कार्यकर्ता) कार्यरत है;	स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में कुल 39964 ग्रामीण एवं 2500 शहरी सहिया कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 16 वर्षो से अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रही है जैसे–डॉडस दवा मरीज को उपलब्ध कराना, कैंसर कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, गर्भवती माताओ का ANC जॉच करवाना, सामुदायिक स्वास्थ्य बैठक करवाना, सरकार की सारी स्वास्थ्य योजना घर–घर तक पहूँचाना आदि;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सहिया को राज्य कर्मी का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। NHM योजनांतर्गत ASHA (सहिया) की सेवाएँ प्राप्त की जाती है तथा सहिया को विभिन्न कार्य के विरूद्व कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। सहियाओं को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–06/2023 – 67(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 10/03/2023.

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 367/वि0स0 रॉची, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.23

सरकार के उप सचिव।

515

श्री (डॉ0) सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स– 18 उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि श्रीमती प्रतिभा कुमारी जिला प्रोग्राम प्रबन्धक (DPM) गिरिडीह में विगत पाँच वर्षो से तथा श्रीमती बिंदु कुमारी, लेखापाल बेंगाबाद अस्पताल (गिरिडीह) में 10 वर्षो से पदस्थापित है;	श्रीमती प्रतिभा कुमारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM), गिरिडीह सितम्बर, 2018 से गिरिडीह जिला में पदस्थापित है एवं श्रीमती बिन्दु कुमारी, प्रखण्ड लेखा प्रबंधक, बेंगाबाद अस्पताल (गिरिडीह) में वर्ष 2016 से पदस्थापित।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–531(15) दिनांक 10.10.2022 के आलोक में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ झारखण्ड, राँची ने पत्रांक–2330 (23) के द्वारा अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड, राँची से खंड–1 में वर्णित व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई करने का अनुरोध किया था परन्तु आजतक इनके विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	श्रीमती प्रतिभा कुमारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM), गिरिडीह एवं श्रीमती बिन्दु कुमारी, प्रखण्ड लेखा प्रबंधक, बेंगाबाद अस्पताल (गिरिडीह) को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण करने हेतु निदेश प्राप्त था, परन्तु किसी भी आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया था। उक्त के आलोक में दोनों कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रशासनिक दृष्टिकोण से खंड–1 में वर्णित व्यक्तियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	स्थानान्तरण समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अगले बैठक में उपरोक्त कर्मियों के स्थानान्तरण पर विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/ वि0स0–06–11./2023 80 (21) स्वा0 राँची, दिनांक– 16/03/2023.

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 602/वि0स0 राँची, दिनांक 27.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.23
सरकार के उप सचिव।